(11) पुलिस विभाग

राज्य पुलिस का वर्ष 2015–16 का वेतन सम्बन्धी कुल व्यय लगभग 1037.06 करोड़ सूचित किया गया है तथा वेतन सम्बन्धी व्यय सहित कुल व्यय लगभग रू0 1145.51 करोड़ बताया गया है जिसमें यात्रा व्यय लगभग रू0 21.67 करोड़, कार्यालय व्यय लगभग रू0 11 करोड़, मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण व्यय लगभग रू0 16.12 करोड़ तथा अन्य व्यय लगभग रू0 11.23 करोड़ सम्मिलित है। स्वीकृत एवं कार्यरत पदों की उपलब्ध कराई गई सूचना अनुसार कुल स्वीकृत पद 27440 तथा इसके सापेक्ष 26203 कार्यरत (उपनल के अधीन संविदागत/प्रशिक्षणरत/संविदागत को छोड़कर कार्यरत संख्या 24446) होना बताया गया है। सभी पद भरे होने की दशा में वर्ष 2015–16 का कुल वेतन व्यय लगभग रू0 1086 करोड़ होता। सातवें पुनरीक्षित वेतन अनुसार भरे पदों के सापेक्ष वेतन व्यय लगभग रू0 1153 करोड़ एवं सभी पद भरे होने की स्थिति में व्यय लगभग रू0 1248 करोड़ होता है। वार्षिक वेतन वृद्धि, ए0सी0पी0, महंगाई भत्ता दर में वृद्धि व प्रोन्नति के फलस्वरूप वेतन व्यय में उत्तरोत्तर वृद्धि ही होती है। दिनांक 31.12.2016 की स्थिति अनुसार आई0पी0एस0 के कुल स्वीकृत पद 69 तथा कार्यरत 59 सूचित किये है जबकि पी0पी0एस0 में स्वीकृत पद 143 व कार्यरत 98 बताए गये हैं। यह सूचित किया गया है कि पुलिस विभाग अंतर्गत निम्नलिखित 26 प्रकार के संगठन/कार्यालय हैं :–

1. पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड।
2. अभिसूचना/सुरक्षा मुख्यालय, उत्तराखण्ड।
3. पुलिस अधीक्षक (क्षेत्रीय), देहरादून।
4. पुलिस अधीक्षक (क्षेत्रीय), हल्द्वानी, नैनीताल।
5. अपराध एवं अनुसंधान विभाग, उत्तराखण्ड।
6. खण्डाधिकारी, अपराध एवं अनुसंधान, सैक्टर, देहरादून।
7. खण्डाधिकारी, अपराध एवं अनुसंधान, सैक्टर, हल्द्वानी, नैनीताल।
8. उत्तराखण्ड पुलिस संचार शाखा।
9. उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा शाखा।
10. उत्तराखण्ड राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला।
11. पुलिस उपमहानिरीक्षक, कुमायूं परिक्षेत्र, नैनीताल।
12. पुलिस उपमहानिरीक्षक, गढ़वाल परिक्षेत्र, पौड़ी।
13. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, उत्तराखण्ड।
14. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून/हरिद्वार/टिहरी/पौड़ी/नैनीताल/ऊधमसिंहनगर/अल्मोड़ा।
15. पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी/रूद्रप्रयाग/चमोली/बागेश्वर/पिथौरागढ़/चम्पावत।

16. सेनानायक, 40वीं वाहिनी पीएसी, हरिद्वार।
17. सेनानायक, 31वीं वाहिनी पीएसी, रूद्रपुर।
18. सेनानायक, 46वीं वाहिनी पीएसी, रूद्रपुर।
19. सेनानायक, इण्डिया रिजर्व वाहिनी–प्रथम, बैलपड़ाव, रामनगर नैनीताल।
20. सेनानायक, इण्डिया रिजर्व वाहिनी–द्वितीय, हरिद्वार।
21. सेनानायक, एस0डी0आर0एफ0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
22. सेनानायक, ए0टी0एस0, उत्तराखण्ड, हरिद्वार।
23. प्रधानाचार्य, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, नरेन्द्रनगर, टिहरी।
24. प्रधानाचार्य, सशस्त्र प्रशिक्षण केन्द्र, हरिद्वार।
25. अवैध खनन निरोधक, इकाई।
26. पुलिस अधीक्षक, रेलवे, उत्तराखण्ड, हरिद्वार।

आई0पी0एस0 एवं पी0पी0एस0 सेवा संवर्ग तथा अन्य घटक बलों/शाखाओं के अतिरिक्त विभिन्न स्तर पर पुलिस बल में स्वीकृत पदों व उसके सापेक्ष कार्यरत कार्मिकों की सूचना निम्नवत् सूचित हुई है:–

पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	अभ्युक्ति
निरीक्षक	314	241	48 पद पर नियुक्ति मा0 न्यायालय के अन्तरिम आदेश से हुई है।
उपनिरीक्षक	1668	1507	82 सीधी भर्ती के अभ्यर्थी प्रशिक्षणरत हैं।
हेड कान्स्टेबिल	2451	1862	144 प्रशिक्षणरत।
कान्स्टेबिल	12658	12107	महिला कान्स्टेबिल के 698 पद के सापेक्ष 1039 उपलब्ध, 1000 महिलाएं प्रशिक्षणरत
चतुर्थ श्रेणी	1669	1327	304 उपनल से कार्यरत। मृत संवर्ग

उक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित शाखाओं/घटक बलों में पदों की सूचना भी इंगित की गई है :–

आई0आर0बी0 (दो वाहिनियां)

क्रमांक	पद विवरण	स्वीकृत पद	कार्यरत
1.	दलनायक	14	9
2.	प्लाटून कमान्डर	44	60
3.	ए0एस0आई0	36	–
4.	हेड कान्स्टेबल	314	207
5.	कान्स्टेबल	1260	1269
	योग	**1668**	**1545**

पी0ए0सी0

क्र0	पद विवरण	स्वीकृत पद	कार्यरत	अभ्युक्ति
1.	दलनायक	29	16	महिला घटक सहित
2.	प्लाटून कमान्डर	84	100	पुरूष व महिला दोनों में अधिक
3.	हैड कान्स्टेबल	584	462	
4.	कान्स्टेबल	2569	2716	पुरूष व महिला दोनों में अधिक
	योग	**3266**	**3294**	

पी0एम0टी0

क्रमांक	पद विवरण	स्वीकृत पद	कार्यरत
1.	निरीक्षक	0	1
2.	ए0एस0आई0	0	5
3.	हैड कान्स्टेबल	0	10
4.	कान्स्टेबल	0	20
	योग	**0**	**36**

फायर सर्विस शाखा

क्र0	पद विवरण/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत	अभ्युक्ति
1.	उप निरीक्षक	1	1	महिला घटक सहित
2.	मुख्य अग्निशमन अधिकारी	9	4	
3.	अग्निशमन अधिकारी/4200	34	30	अग्निशमन द्वितीय अधिकारी से प्रोन्नति
4.	अग्निशमन द्वितीय अधिकारी/4200	39	20	50 प्रतिशत सीधी भर्ती/50 प्रतिशत फायर सर्विस चालक व लीडिंग फायरमैन से प्रोन्नति
5.	लीडिंग फायरमैन/2400	148	15	फायरमैन से प्रोन्नति
6.	फायर सर्विस संचालक/2400	181	47	फायरमैन से प्रोन्नति
7.	फायर मैन/2000	920	888	सीधी भर्ती
	योग	**1332**	**1005**	

पुलिस संचार शाखा

क्रमांक	पद विवरण	स्वीकृत पद	कार्यरत
1.	पुलिस उप महानिरीक्षक	01	–
2.	राज्य रेडियो अधिकारी	02	02
3.	अपर राज्य रेडियो अधिकारी	06	06
4.	सहायक रेडियो अधिकारी	09	05
5.	रेडियो निरीक्षक	18	17
6.	रेडियो अनुरक्षण अधिकारी	53	39
7.	रेडियो केन्द्र अधिकारी	67	46
8.	प्रधान परिचालक	449	317
9.	सहायक परिचालक	215	69
8.	कर्मशाला सहायक	24	06
	योग	**844**	**507**

पुलिस लिपिक संवर्ग

क्र0	पद विवरण	स्वीकृत पद	कार्यरत
1.	पुलिस उपाधीक्षक (एम)	03	02
2.	पुलिस उपाधीक्षक (पीएस)	01	01
3.	निरीक्षक (एम) लिपिक	25	21
4.	उपनिरीक्षक	95	68
5.	सहायक उप निरीक्षक	281	188
6.	उपनिरीक्षक (एम) आशुलिपिक	86	41
7.	कान्स्टेबल (एम) लिपिक	29	71
8.	कान्स्टेबल (एम) आशुलिपिक	13	0
9.	जूनियर इंजीनियर	4	01
10.	सीनियर ऑडिटर	1	0
11.	आडिटर	3	0
12.	उर्दू अनुवादक	88	1
	योग	**629**	**394**

एस0डी0आर0एफ0

क्र0	पद विवरण/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत	अभ्युक्ति
1.	चिकित्साधिकारी	5	0	चिकित्सा विभाग से प्रतिनियुक्ति
2.	दलनायक	17	11	
3.	प्लाटून कमान्डर	70	30	
4.	हेड कान्स्टेबल	62	47	
5.	उप निरीक्षक एम0टी0	1	1	
6.	हेड कान्स्टेबल एम0टी0	2	1	
7.	कान्स्टेबल	346	335	
8.	कान्स्टेबल (इलैक्ट्रीशियन)	12	0	
9.	कान्स्टेबल (टेक्निशियन)	12	0	
10.	कान्स्टेबल वर्कशाप	3	1	
11.	पैरामेडिकल स्टाफ	31	1	
12.	निरीक्षक रेडियो	1	1	
13.	रेडियो केन्द्र अधिकारी	1	1	
14.	प्रधान परिचालक	2	2	
15.	सहायक परिचालक	7	7	
16.	आरक्षी चालक	57	5	
	योग	**629**	**443**	

पुलिस विधि विज्ञान प्रयोगशाला

क्र0	पदनाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत
1.	निदेशक/8700	1	0
2.	संयुक्त निदेशक/7600	2	0
3.	उपनिदेशक/6600	50	0
4.	वैज्ञानिक अधिकारी/5400	16	7
5.	ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक	18	0
6.	प्रयोगशाला सहायक	18	8
7.	कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक	2	2
8.	फोटोग्राफर	4	0
9.	आशुलिपिक (ग्रेड–2)	2	0

क्र0	पदनाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत
10.	प्रधान सहायक	2	0
11.	वरिष्ठ सहायक	2	0
12.	कनिष्ठ सहायक	4	1
13.	कम्प्यूटर ऑपरेटर	2	0
14.	ड्राइवर (आरक्षी चालक)	11	2
15.	सीनियर एक्सपर्ट (फिंगर प्रिंट)	2	0
16.	जूनियर एक्सपर्ट (फिंगर प्रिंट)	5	0
17.	प्रोफिसिऐन्ट (फिंगर प्रिंट)	2	0
18.	सर्चर	2	0
	योग	**100**	**21**

प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग अंतर्गत विभिन्न पद स्तर/वेतनमान स्तर में सृजित पदों का विवरण निम्नानुसार ज्ञात हुआ है, जैसा कि प्रान्तीय पुलिस सेवा एसोसिएशन के द्वारा अपर पुलिस महानिदेशक प्रशासन को सम्बोधित ज्ञापन, जिसकी प्रति समिति को उपलब्ध हुई है, से परिलक्षित होता है।

क्र0	पदनाम	ग्रेड वेतन	अधिकृत पद
1.	पुलिस उपाधीक्षक (कनिष्ठ वेतनमान) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती/50 प्रतिशत प्रोन्नति	5400	90
2.	पुलिस उपाधीक्षक (ज्येष्ठ वेतनमान) प्रोन्नति	6600	21
3.	अपर पुलिस अधीक्षक श्रेणी–दो प्रोन्नति	6600	19
4.	अपर पुलिस अधीक्षक श्रेणी–एक प्रोन्नति	7600	09
5.	अपर पुलिस अधीक्षक विशेष श्रेणी प्रोन्नति	8700	04
	योग		**143**

उल्लेखनीय है कि उत्तराखण्ड राज्य में एक बड़ी जनसंख्या/बड़ा भू–भाग राजस्व पुलिस के अधीन है जिसे संज्ञान में लिए जाने पर उत्तराखण्ड राज्य में पुलिस बल की उपलब्धता राष्ट्रीय औसत/अन्य राज्यों के सापेक्ष अच्छी है।

उपलब्ध कराई गई सूचनाओं के दृष्टिगत निम्नलिखित बिन्दु विचार योग्य हैं :–

1. विभिन्न स्तर पर जो पद रिक्त हैं उन्हें तत्काल आस्थगित कर दिया जाय और उनके सापेक्ष नई भर्तियां न की जायें (आई0पी0एस0 व पी0सी0एस0 संवर्ग के रिक्त पदों के अतिरिक्त शेष संवर्गों के सम्बन्ध में) तथा इन पदों के सापेक्ष महिला श्रेणी सहित स्वीकृत पदों से अधिक कार्यरत पुलिस कार्मिकों को समायोजित किया जाय तथा शेष रिक्त पदों पर भी सीधी भर्ती की नियुक्तियां न की जायें।

2. पी0एम0टी0 वर्कशाप में स्वीकृत पद शून्य हैं जबकि कार्यरत कार्मिक 36 हैं। अतः इस ईकाई में अथवा इसी प्रकार की अन्य वर्तमान ईकाइयों जहां कोई पद स्वीकृत नहीं है परन्तु कर्मचारी कार्यरत हैं वहां तथा भविष्य में अति आवश्यक होने की दशा में खोली जाने वाली नई ईकाइयों में न्यूनतम आवश्यक पदों का सृजन वर्तमान कुल रिक्तियों से सम्बन्धित पदों के सापेक्ष समायोजन के माध्यम किया जाय।

3. पी0ए0सी0 एवं आई0आर0बी0 में कान्स्टेबल के स्वीकृत पदों के सापेक्ष अधिक कार्मिक कार्यरत हैं। ऐसी स्थिति कतिपय अन्य पदों (प्लाटून कमान्डर आदि) के सम्बन्ध में भी इंगित हुई है। ऐसे मामलों में अग्रेतर कोई नये पद सृजन/भर्ती की कार्यवाही न की जाय।

4. पिरामिड सिद्धान्त अनुसार विभिन्न संवर्गों में विभिन्न स्तर के पदों की संख्या सीमित करते हुए संवर्ग में पदों की संख्या को पुनर्गठित इस प्रकार किया जाय कि संपूर्ण संवर्ग में कुल कार्यरत पदों की सीमा तक ही कुल पदों का पुनर्निर्धारण हो, इसमें जहां कहीं कार्यरत पद अतिन्यून है उनके सम्बन्ध में पिरामिड सिद्धान्त अनुसार वास्तविक आवश्यकता/आंकलन अनुसार पदों की संख्या नियत की जाय।

5. विभिन्न ईकाईयों/संवर्गों में जहां एक ही ग्रेड वेतन में प्रोन्नति की व्यवस्था सहित दो या अधिक स्तर के पद हैं वहां कुल पद स्तरों को इस प्रकार पुर्निर्धारित किया जाय कि एक ग्रेड वेतन स्तर पर यथासंभव एक ही पद स्तर हो तथा प्रोन्नति केवल तत्काल अगले उच्चतर वेतन स्तर पर ही सामान्यतः हो।

6. लिपिक संवर्ग में उर्दू अनुवादक के पदों को कान्स्टेबल (लिपिक) के अंतर्गत ही समायोजित व सीमित किया जाय। साथ ही ऑडिटर व सीनियर ऑडिटर के पद समाप्त किये जायें जो अभी रिक्त ही हैं। लिपिक एवं आशुलिपिक संवर्ग में प्रारम्भिक पद कान्सटेबिल (एम) लिपिक व कान्सटेबिल (एम) आशुलिपिक के पदों की संख्या पिरामिड सिद्धान्त एवं अन्य विभागों के लिपिक/आशुलिपिक संवर्गों के सापेक्ष उच्चतर अगले पदों से काफी कम हैं। इस स्थिति को ठीक किया जाय ताकि सबसे निचले पायदान/स्तर के पद की संख्या अधिक व उत्तरोत्तर उच्च पदों की संख्या एक निश्चित अनुपात में कम होवें।

(12) होमगार्डस विभाग एवं नागरिक सुरक्षा

होमगार्डस में स्वीकृत, कार्यरत व रिक्त पदों की सूचना निम्नवत बताई गई है–

क्र0सं0	पदनाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत	अभ्युक्ति
1.	महासमादेष्टा	01	01	आई0पी0एस0 संवर्ग
2.	उप महासमादेष्टा/8700	02	–	
3.	सहायक उप महासमादेष्टा/6600	03	02	
4.	वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी/7600	02	02	
5.	स्टाफ अधिकारी/6600	01	01	
6.	मण्डलीय कमाण्डेन्ट/6600	02	02	
7.	जिला कमाडेन्ट/5400	15	01	अधियाचन प्रेषित (05)
8.	वैतनिक निरीक्षक/4200	09	09	
9.	वैतनिक प्ला0 कमाण्डर/2800	32	11	
10.	ब्लॉक आरगेनाइजर/2000	13	01	
11.	हवलदार प्रशिक्षक/1900	38	0	
12.	मुख्य प्रशा0 अधि0/5400	01	0	
13.	वरिष्ठ प्रशा0 अधि0/4800	05	05	
14.	प्रशासनिक अधि0/4600	05	05	
15.	प्रधान सहायक/4200	09	04	
16.	वरिष्ठ सहायक/2800	14	02	
17.	कनिष्ठ सहायक/2000	16	09	
18.	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	01	0	
19.	वैयक्तिक सहायक	04	01	
20.	चालक	19	02	
21.	चतुर्थ श्रेणी	88	17	
	योग	**280**	**74**	

उक्त कार्यरत कार्मिकों के अतिरिक्त उपनल से 65 कार्मिक तैनात किये गये हैं (01 हवलदार प्रशिक्षक, 16 कनिष्ठ सहायक, 13 चालक, 35 चतुर्थ श्रेणी)।

साथ ही होमगार्डस विभाग के अधीन कम्पनी कमाण्डर, सहायक कम्पनी कमाण्डर, प्लाटून कमाण्डर व होमगार्ड स्वयं सेवक के अवैतनिक पद सृजित हैं जिन्हें नियत मानदेय अनुमन्य है।

होमगार्ड विभाग का 2015–16 वेतन व्यय लगभग रू0 3.18 करोड़ है। यदि सभी पद भरे होते तो 2015–16 का वेतन व्यय भार लगभग रू0 12.04 करोड़ होता जो सातवें पुनरीक्षित वेतन के फलस्वरूप रू0 13.85 करोड़ होता है।

प्राप्त सूचनाओं के दृष्टिगत निम्नलिखित बिन्दु विचार योग्य हैं–

1. वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (ग्रेड वेतन 7600) के दो तथा स्टाफ अधिकारी (ग्रेड वेतन 6600) के एक पद सृजित हैं जबकि महासमादेष्टा का एक ही पद है। उल्लेखनीय है कि उप महासमादेष्टा (ग्रेड वेतन 8700) के भी दो पद हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि सहायक उप समादेष्टा व मण्डलीय कमाण्डेन्ट के ग्रेड वेतन 6600 में क्रमशः 03 व 02 पद सृजित होना सूचित किया है। अतः उप महासमादेष्टा का केवल 01 पद ग्रेड वेतन 7600 में तथा सहायक उप महासमादेष्टा के 02 या 03 पद ग्रेड वेतन 6600 में रखते हुए वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी व स्टाफ अधिकारी के पद समाप्त करने पर विचार किया जा सकता है।

2. मण्डल स्तर पर होमगार्ड की इकाई/कार्यालय रखने पर पुनर्विचार किया जा सकता है। इस प्रकार मण्डलीय कमाण्डेंट के पद समाप्त किये जा सकते हैं।

3. हवलदार प्रशिक्षक, वैतनिक प्लाटून कमान्डर तथा चालक के सृजित पदों के सापेक्ष उपलब्धता अतिन्यून है। इन पदों की संख्या कम किया जाय।

4. चतुर्थ श्रेणी पद भी अधिक प्रतीत होते हैं तथा उपलब्धता भी न्यून ही है। इस स्तर पर भी संख्या लगभग 50–60 तक सीमित रखने पर विचार किया जाना चाहिए।

5. लिपिक संवर्ग में स्टाफिंग पैटर्न की व्यवस्था पर पुनर्विचार किया जाय।

उक्त के अतिरिक्त यह अवलोकनीय है कि उत्तराखण्ड होमगार्डस कल्याण कोष नियमावली (यथा संशोधित) में वैतनिक अराजपत्रित कार्मिकों को लाभार्थी माना गया है। चूंकि वैतनिक कर्मचारी कदाचित जी0आई0एस0 आदि सुविधा से आच्छादित होते हैं, अतः नियमावली से लाभार्थी के रूप में इन्हें पृथक करने पर विचार किया जा सकता है।

नागरिक सुरक्षा विभाग में कुल 21 पद स्वीकृत हैं जिसके सापेक्ष 10 कार्यरत हैं। इस सम्बन्ध में उपलब्ध करायी गई सूचना निम्नानुसार है:–

क्र0 सं0	पदनाम	स्वीकृत पद	उपलब्ध पद	
			विभागीय	संविदा
1.	उपनियंत्रक	1	1	0
2.	सहायक उपनियंत्रक (वरिष्ठ वेतनमान)	1	0	0
3.	सहायक उपनियंत्रक	3	0	0
4.	स्टोर अधीक्षक	1	1	0
5.	वायरलेस आपरेटर	1	1	0
6.	आशुलिपिक	1	0	0
7.	लेखालिपिक	1	0	0
8.	कनिष्ठ लिपिक	3	2	1
9.	स्टोरमेन	2	2	0
10.	डिस्पैच राइडर	1	0	0
11.	अर्दली	1	1	0
12.	चौकीदार	2	1	0
13.	संदेशवाहक	2	0	2
14.	चालक	1	1	0
	योग	**21**	**10**	**3**

उल्लेखनीय है कि कदाचित केवल देहरादून शहर के लिए ही नागरिक सुरक्षा के पद सृजित हुए हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 होमगार्डस अधिनियम, 1963 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) अनुसार होमगार्डस के कृत्यों में हवाई हमलों, आग लगने, बाढ़ आने, महामारी फैलने और अन्य आपातों के समय लोक समाज की सहायता करने का उल्लेख भी है। ऐसी दशा में नागरिक सुरक्षा हेतु स्वीकृत पदों व नागरिक सुरक्षा इकाई को समाप्त करने पर विचार किया जा सकता है।

(13) कारागार विभाग

कारागार विभाग में मुख्यालय (विभागाध्यक्ष/महानिरीक्षक कारागार का कार्यालय) सहित कुल 11 ईकाईयां हैं जिनमें केंद्रीय कारागार सितारगंज के अतिरिक्त सात जिला कारागार (क्रमशः देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, टिहरी, चमोली एवं पौड़ी) तथा दो उपकारागार

(क्रमशः हल्द्वानी एवं रूड़की) हैं। चम्पावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग व उधमसिंहनगर में जिला कारागार नहीं हैं।

कारागार विभाग का वित्तीय वर्ष 2015–16 में वेतन सम्बन्धी मदों पर रू0 16.30 करोड़ तथा अन्य मदों में 14.67 करोड़ व्यय हुआ है। सभी पद भरे होने की स्थिति में 2015–16 का वेतन व्यय लगभग रू0 23.86 करोड़ होता जो सातवें पुनरीक्षित वेतन के फलस्वरूप लगभग रू0 27.43 करोड़ होता। 2015–16 में भरे पदों के सापेक्ष सातवें पुनरीक्षित वेतन में वेतन व्यय लगभग रू0 18.75 करोड़ होता है।

विभाग में निम्नानुसार पदों की स्थिति संज्ञान में लाई गई है–

क्र0	पदनाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1.	महानिरीक्षक	01	01	–	अन्य संवर्ग से
2.	अपर महानिरीक्षक	01	–	01	तदैव
3.	उप महानिरीक्षक/7600	01	–	01	
4.	वरिष्ठ कारागार अधीक्षक/6600	03	03	0	
5.	अधीक्षक कारागार/5400	09	04	05	
6.	कारापाल/4200	13	05	08	
7.	उपकारापाल/4200	44	10	34	
8.	प्रधान बंदीरक्षक/2000	71	39	32	
9.	रिजर्व प्रधान बंदीरक्षक/2000	11	07	04	
10.	महिला प्रधान बंदीरक्षक/2000	09	02	07	
11.	बंदीरक्षक/1900	636	535	101	377 नवनियुक्त कार्मिक प्रशिक्षण पर बताए गए
12.	रिजर्व बंदीरक्षक/1900	50	17	33	
13.	महिला बंदीरक्षक/1900	27	17	10	
14.	वरिष्ठ वित्त अधिकारी/5400	01	01	0	
15.	सहायक चिकित्साधिकारी/5400	10	0	10	
16.	विधि अधिकारी/5400	01	0	01	
17.	चीफ फार्मासिस्ट/5400	04	0	04	
18.	फार्मासिस्ट/4200	15	07	08	
19.	सहायक लेखाधिकारी/4800	01	01	0	
20.	महिला कल्याण अधिकारी/4200	01	01	0	
21.	अवर अभियंता सिविल/4200	01	01	0	
22.	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/4800	01	01	0	
23.	प्रशासनिक अधिकारी/4600	01	01	01	
24.	मुख्य सहायक/4200	04	02	02	
25.	वरिष्ठ सहायक/2800	04	0	04	

26.	कनिष्ठ सहायक / 2000	20	10	10	
27.	वैयक्तिक सहायक ग्रेड–2 / 4200	01	0	01	
28.	आशुलिपिक ग्रेड–1 / 4200	01	0	01	
29.	आशुलिपिक ग्रेड–2 / 2400	04	02	02	
30.	सहायक लेखाकार / 2800	08	02	06	
31.	अध्यापक / 2000	02	01	01	
32.	लैब टैक्नीशियन / 2400	01	0	01	
34.	कृषि निरीक्षक ग्रेड–2 / 2000	01	01	0	
35.	आटा चक्की मिस्त्री / 2000	05	0	05	
36.	वाहन चालक / 2000	02	02	0	
37.	ट्रक चालक / 2000 (वाहन चालक)	04	04	0	
38.	ट्रैक्टर चालक / 2000	05	03	02	
39.	एम्बुलेंस चालक / 1900	08	01	07	
40.	मेसन टीचर / 1900	04	02	02	मृत संवर्ग
41.	दफ्तरी / 1900	01	01	0	
42.	लोहार मैकेनिक प्रशिक्षक / 1900	01	0	01	
43.	नलकूप चालक / 1900	02	0	02	
44.	मेट / 1800	11	06	05	मृत संवर्ग
45.	अनुसेवक / 1800	05	02	03	
46.	चौकीदार / 1800	02	02	0	मृत संवर्ग
47.	नाई / 1800	10	03	07	
48.	सिविलियन / 1800	32	18	14	मृत संवर्ग
49.	स्वच्छकार / 1800	13	13	0	
50.	डार्क रूम अटैन्डेन्ट / 1800	01	0	01	
51.	लैब अटैन्डेंट / 1800	01	0	01	
	कुल योग	**1067**	**729**	**338**	

उक्तानुसार कारागार विभाग में कुल 1067 पद स्वीकृत हैं जिसके सापेक्ष 703 कार्मिक कार्यरत तथा 338 पद रिक्त हैं। बताया गया है कि 400 बंदीरक्षकों के पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रचलित है। विभाग के वरिष्ठ वित्त अधिकारी एवं उनके सहयोगी के साथ कारागार विभाग के ढांचे के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा की गई। ढांचे में कई ऐसे पद सृजित हैं जो सितारगंज जेल के समय सृजित हुए थे तथा उनका अब कोई औचित्य नहीं रह गया है। कारागार विभाग द्वारा प्रेषित ढांचे के विवरण एवं नियमावली पर विस्तृत चर्चा के पश्चात निम्न बिन्दुओं पर विचार कर निर्णय लिये जाने की संस्तुति की जाती है।

1. **सहायक चिकित्साधिकारी** – इसके 10 पद सृजित हैं तथा 0 कार्यरत हैं। इन पदों को चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सक संवर्ग में सविलियन करते हुए कारागारों में

तैनाती की व्यवस्था चिकित्सा विभाग के माध्यम से किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

2. **विधि अधिकारी** – इसका 01 पद सृजित है जिसका कोई औचित्य स्पष्ट नहीं है। यह पद रिक्त भी है। बताया गया कि सेवा सम्बन्धी कई प्रकरण होने के कारण विधि अधिकारी का पद सृजित किया गया जिससे पैरवी न्यायालय स्तर पर की जा सके। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट करना है कि उत्तराखण्ड में विभिन्न विभागों के अंतर्गत विधि अधिकारी का कोई पद सृजित नहीं है बल्कि विभाग द्वारा स्वयं जनपद न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय में शासन द्वारा नियुक्त काउंसिल (एडवोकेट) से सम्पर्क कर एफीडेविट एवं काउंटर एफीडेविट तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किये जाते हैं जिसकी पैरवी शासन द्वारा नियुक्त एडवोकेट द्वारा की जाती है। अतः पद को समाप्त किया जाय।
3. **फार्मासिस्ट एवं चीफ फार्मासिस्ट** – फार्मासिस्ट के 15 पद सृजित हैं जिसके सापेक्ष 07 कार्यरत हैं एवं 08 रिक्त हैं। इन पदों को चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में फार्मासिस्ट संवर्ग में सविलियन करते हुए कारागारों में तैनाती की व्यवस्था चिकित्सा विभाग के माध्यम से करने पर विचार किया जा सकता है। इसी प्रकार चीफ फार्मासिस्ट के 04 पद सृजित हैं जो पूरे रिक्त हैं इन्हें भी उक्तानुसार चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में संविलियन कर कारागारों में वास्तविक आवश्यकतानुसार तैनाती की व्यवस्था की जा सकती है।
4. **अवर अभियन्ता सिविल** – इसका 01 पद सृजित है। बताया गया है कि उत्तर प्रदेश से आवंटन पर एक अवर अभियन्ता के आने के कारण इस पद का सृजन किया गया। इसे लोक निर्माण विभाग में संविलियन कर कारागार विभाग में अवर अभियंता की तैनाती व्यवस्था आवश्यकतानुसार की जा सकती है।
5. **महिला कल्याण अधिकारी** – इसका 01 पद सृजित है। बताया गया कि रूड़की जेल में डिप्टी जेलर की हत्या के पश्चात उनकी पत्नी के लिए यह पद सृजित किया गया है। विभाग उपलब्ध पदों में से किसी एक पद पर इनका समायोजन करते हुए इस पद को समाप्त करने पर विचार कर सकता है।
6. **बढ़ई प्रशिक्षक** – इसका 01 पद सृजित है तथा यह पद भरा हुआ है। बताया गया कि सितारगंज जेल में इस पद का सृजन किया गया था जिसका अब कोई औचित्य नहीं रह गया है तथा इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए।
7. **लैब टैक्निशियन** – सितारगंज जेल में उत्तर प्रदेश के समय से ही 01 पद सृजित था जो वर्तमान में रिक्त है। इस पद को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।
8. **अध्यापक** – सितारगंज जेल एवं उप कारागार, रूड़की में कुल 02 पद सृजित हैं जिनका कार्य बंदी शिक्षक के रूप में था। वर्तमान में 01 पद भरा हुआ है। इनकी कोई

प्रोन्नति का अवसर नहीं है। कारागार में अध्यापक की भविष्य में तैनाती आवश्यकतानुसार शिक्षा विभाग से की जा सकती है।

9. **कृषि निरीक्षक ग्रेड–2** – सितारगंज जेल में इसका 01 पद सृजित है जो भरा है, जिस समय वहां कृषि का कार्य हुआ करता था। बताया गया कि वहां की फार्म की भूमि को सिडकुल द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया है। इन पदों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए तथा कार्यरत कार्मिक को कृषि विभाग में समायोजित किया जा सकता है।
10. **आटा–चक्की मिस्त्री** – इसके 05 पद सृजित हैं जो पूरी तरह से रिक्त हैं। वर्तमान में नई तकनीकी आने के पश्चात इनकी आवश्यकता नहीं रह गई है। इन पदों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।
11. **ट्रैक्टर चालक** – इसके 05 पद सृजित हैं जिसके सापेक्ष 03 भरे हुए हैं एवं 02 रिक्त हैं। सितारगंज फार्म जब था उस समय ट्रैक्टर्स की आवश्यकतानुसार पदों को सृजित किया गया था। इसे अब मृत संवर्ग घोषित किया जाना चाहिए।
12. **मैशन टीचर** – इसके 04 पद सृजित हैं जिसके सापेक्ष 02 कार्यरत एवं 02 रिक्त हैं। ये पद सितारगंज जेल के लिए सृजित किये गये थे जिसे मृत संवर्ग घोषित किया जा सकता है।
13. **दफ्तरी** – इसका 01 पद सृजित है जो भरा हुआ है। वर्तमान में विभिन्न विभागों में दफ्तरी के पद समाप्त किये जा चुके हैं। इसे भी मृत संवर्ग घोषित किया जा सकता है अथवा पद समाप्त कर कार्यरत कार्मिक को अन्य पद पर समायोजित किया जा सकता है।
14. **लौहार मैकेनिक प्रशिक्षक** – इसका 01 पद सृजित है जो वर्तमान में रिक्त है। यह पद सितारगंज जेल के लिए सृजित हुआ था। इस पद को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।
15. **मेट** – इसके 11 पद सृजित हैं जिसके सापेक्ष 06 भरे हुए हैं तथा 05 रिक्त हैं। इन पदों का भी सृजन सितारगंज जेल के समय हुआ था। इसे भी मृत संवर्ग घोषित किया जाना चाहिए।
16. **अनुसेवक एवं चौकीदार** – अनुसेवक के 05 पद सृजित हैं जिसके सापेक्ष 02 कार्यरत एवं 03 रिक्त हैं। इसी प्रकार चौकीदार का 01 पद सृजित है जोकि भरा हुआ है। इसे मृत संवर्ग घोषित करते हुए भविष्य में आउटसोर्सिंग से व्यवस्था की जानी चाहिए।
17. **सिविलियन** – इसके 32 पद सृजित हैं जिसके सापेक्ष 18 पद भरे हुए हैं एवं 14 रिक्त हैं। ये पद सितारगंज जेल के समय से सृजित हैं। बताया गया कि जब किसी अधिकारी की सितारगंज जेल में नियुक्ति होती थी तो वह अपना परिवार नहीं रख सकता था जिसकी सहायता के लिए सिविलियन पदनाम से पद सृजित किये गये।

वर्तमान में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है तथा इसे मृत संवर्ग घोषित किया जाना चाहिए एवं कार्मिकों को अन्य रिक्तियों में समायोजित करने पर विचार किया जाय।

18. **डार्क रूम अटेंडेंट एवं लैब अटेंडेंट –** दोनों के 01–01 पद सृजित हैं जो रिक्त हैं। सितारगंज जेल के समय इनका सृजन हुआ था जिसकी अब कोई आवश्यकता नहीं है। अतः इन पदों को समाप्त कर दिया जाय।

(14) अभियोजन विभाग

अभियोजन विभाग के विभागीय ढांचे में 31.12.2016 की स्थिति अनुसार स्वीकृत, कार्यरत व रिक्त पदों की स्थिति निम्नवत् सूचित की गई है :–

क्र0 सं0	पदनाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1.	निदेशक/10000	01	01	–	आई0पी0एस0 संवर्ग
2.	अपर निदेशक (विधि)/8700	01	01	–	अभियोजन अधिकारी संवर्ग
3.	संयुक्त निदेशक (विधि)/7600	07	05	02	–तदैव–
4.	ज्येष्ठ अभियोजन अधि0/6600	11	09	02	–तदैव–
5.	अभियोजन अधि0/5400	25	01	24	–तदैव–
6.	सहायक अभियोजन अधि0/4600	91	29	62	–तदैव–
7.	मुख्य प्रशा0 अधि0/5400	01	01	–	लिपिक संवर्ग
8.	वरिष्ठ प्रशा0 अधि0/4800	05	03	02	–तदैव–
9.	प्रशासनिक अधि0/4600	05	03	02	–तदैव–
10.	प्रधान सहायक/4200	08	04	04	–तदैव–
11.	वरिष्ठ सहायक/2800	13	02	11	–तदैव–
12.	कनिष्ठ सहायक/2000	15	11	04	–तदैव–
13.	वैयक्तिक अधि0/4800	01	01	–	वैयक्तिक सहा0 संवर्ग
14.	वरिष्ठ वैयक्ति सहा0/4600	03	03	–	–तदैव–
15.	वैयक्तिक सहा0/2800	12	01	11	–तदैव–
16.	वित्त अधिकारी/5400	01	01	–	वित्त/लेखा संवर्ग
17.	लेखाकार/4200	02	02	–	–तदैव–
18.	सहा0 लेखाकार/कैशियर/ 2800	02	01	01	–तदैव–

क्र0 सं0	पदनाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
19.	वाहन चालक/2000	02	–	02	02 उपनल से
20.	चपरासी/1800	19	08	11	07 उपनल से
21.	चौकीदार/1800	01	–	01	
	योग	**226**	**87**	**139**	

कार्यरत पदों के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2015–16 में कुल वेतन सम्बन्धी व्यय लगभग रू0 5.17 करोड़ बताया गया है जबकि अन्य मदों सहित कुल व्यय लगभग रू0 5.65 करोड़ इंगित किया गया है। यदि सभी रिक्त पद भरे होते तो 2015–16 की दर पर वेतन सम्बन्धी व्यय लगभग रू0 8.26 करोड़ अतिरिक्त होता। सातवें पुनरीक्षित वेतन में कुल वेतन व्यय भरे पदों के सम्बन्ध में लगभग रू0 5.94 करोड़ एवं सभी पद भरे होने की दशा में लगभग रू0 15.43 करोड़ होता है। उल्लेखनीय है कि अभियोजन अधिकारी संवर्ग में 90 पद रिक्त हैं जिसमें सहायक अभियोजन अधिकारी पद में 62, अभियोजन अधिकारी पद पर 24 तथा ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी व संयुक्त निदेशक पदों पर क्रमशः 02–02 रिक्तियां हैं।

कार्यवाही हेतु निम्नानुसार बिन्दु विचारणीय हैं :–

1. अपराधिक वादों के सम्बन्ध में सरकारी पैरवी को समय से व मजबूती से रखने के लिए अभियोजकों का सुदृढ़ तंत्र तथा पर्याप्त संख्या होना उचित है। इस सम्बन्ध में वास्तविक आवश्यकता का पुनः आकलन किया जाना चाहिए। साथ ही ढांचे के पिरामिड सिद्धान्त के दृष्टिगत संयुक्त निदेशक स्तर पर पदों की संख्या 02–03, ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी स्तर पर पदों की संख्या 05–06, अभियोजन अधिकारी स्तर पर पद संख्या 08–10 एवं सहायक अभियोजन अधिकारी स्तर पद संख्य 40–50 तक सीमित करने पर विचार किया जाय।
2. लिपिक संवर्ग में स्टाफिंग पैटर्न व्यवस्था लागू रखने पर पुनर्विचार किया जाय। इस संवर्ग में लगभग 47 पद हैं जिन्हें 20–25 तक सीमित किया जाय।
3. सहायक लेखाकार/कैशियर के स्थान पर सहायक लेखाकार पद रखा जाय तथा लेखाकार पद की संख्या 01 ही रखी जा सकती है।
4. चौकीदार पद समाप्त किया जाय।
5. वैयक्तिक सहायक संवर्ग का ढांचा व पदनाम/पदसंख्या का पुनरावलोकन किया जाय।

(15) सतर्कता विभाग

उत्तराखण्ड राज्य गठन से पूर्व सतर्कता अधिष्ठान के क्रमशः गढ़वाल व कुमायूं परिक्षेत्र हेतु देहरादून व नैनीताल में दो सेक्टर कार्यालय थे। राज्य गठन उपरान्त सतर्कता निदेशालय

का भी गठन किया गया। गढ़वाल व कुमायूं में क्रमशः श्रीनगर (पौड़ी गढ़वाल) एवं अल्मोड़ा में दो सब सेक्टर कार्यालय भी हैं। पदों की सूचना निम्नानुसार सूचित की गई है :–

क्र0	पद का नाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1.	निदेशक	01	01	–	भा0पु0से0 संवर्ग से
2.	पुलिस अधीक्षक/7600	03	03	–	
3.	पुलिस उपाधीक्षक/5400	08	07	01	
4.	निरीक्षक (ना0पु0)/4800	18	16	02	
5.	उप निरीक्षक (ना0पु0)/4600	04	04	–	
6.	विधि परामर्शी (संयुक्त निदेशक अभियोजन)/7600	01	–	01	
7.	अभियोजन अभियन्ता/4600	03	01	02	
8.	अधिशासी अभियन्ता/6600	01	01	–	लो0नि0वि0 से सम्बद्धीकरण पर
9.	लेखा परीक्षण अधिकारी/5400	01	–	01	
10.	गोपनीय सहायक निरीक्षक (एम)	03	01	02	
11.	निरीक्षक (एम0)/अनु0 अधि0/4800	01	01	–	
12.	वरिष्ठ लिपिक/उप निरीक्षक (एम0)/4600	03	01	02	
13.	आशुलिपिक/उपनिरीक्षक (एम0)/4600	05	02	03	
14.	कनिष्ठ लिपिक/सहा0 उप निरीक्षक (एम0)/2800	07	05	02	
15.	हैड कान्सटेबल/2400	04	04	–	
16.	आरक्षी/2000	34	34	–	
17.	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर/2000	06	06	–	
18.	आरक्षी चालक/2000	09	09	–	
19.	आरक्षी डाक रनर/	03	03	–	
20.	अर्दली प्यून/अनुसेवक/ चतुर्थ श्रेणी/1800	17	17	–	
	योग	**130**	**115**	**15**	

वर्ष 2015–16 में वेतन सम्बन्धी व्यय लगभग रू0 5.81 करोड़ होना सूचित किया है। सभी पद भरे होने की स्थिति में यह व्यय लगभग रू0 6.56 करोड़ हेाता जो सातवें पुनरीक्षित वेतन अनुसार लगभग रू0 7.54 करोड़ होता है।

इस विभाग के ढांचा युक्तिकरण/सही आकार के सम्बन्ध में यद्यपि उक्त सूचनाओं के दृष्टिगत कोई विशेष बिन्दु इंगित नहीं हुए हैं तथापि निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है :–

1. लेखा परीक्षण अधिकारी का 01 पद है जो रिक्त भी है। यह देख लिया जाय कि इस पद का क्या कार्य है एवं क्या उपयोगिता है? यदि यह पद विभागीय व्ययों की सम्परीक्षा के लिए है तो फिर पद को समाप्त कर दिया जाना चाहिए क्योंकि आन्तरिक ऑडिट का कार्य पृथक विभाग के रूप में ऑडिट विभाग पर है।

2. आरक्षी के 34 पदों का औचित्य स्पष्ट ज्ञात नहीं हुआ है। अतः इस पद की संख्या को सीमित किया जा सकता है एवं अधिकतम 20 आरक्षी पद रखने पर विचार किया जाय।

3. कनिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ लिपिक तथा उत्तरोत्तर उच्च श्रेणी के पदों की उपलब्धता के दृष्टिगत डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के 06 पदों का औचित्य प्रतीत नहीं होता है जिन्हें समाप्त किया जाना चाहिए।

(16) वाणिज्य कर विभाग

वाणिज्य कर राज्य सरकार के स्वयं के राजस्व प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत है। सूचित किया है कि संग्रह वर्ष 2001–2002 में इसके अंतर्गत जहां राजस्व आय रू0 478 करोड़ थी वह 2015–16 में 6096 करोड़ हो गई। राज्य सरकार के राजस्व के वार्षिक कुल संग्रह में वाणिज्य कर विभाग का योगदान लगभग 60 प्रतिशत होना इंगित किया गया है। उल्लेखनीय है कि 2014–15 के वास्तविक आंकड़ों अनुसार राज्य सरकार के स्वयं के कुल राजस्व आय रू0 8338.47 करोड़ के सापेक्ष बिक्री कर से प्राप्त राजस्व रू0 5464.84 रहा है, जिससे स्पष्ट है कि वाणिज्य कर का योगदान स्वयं के राजस्व का लगभग 65.54 प्रतिशत है। कार्यरत पदों के सापेक्ष वर्ष 2015–16 में वेतन व्ययभार लगभग रू0 38.77 करोड़ है।

विभाग में विभागाध्यक्ष कार्यालय एवं क्षेत्रीय/जनपदीय ईकाइयों में कुल स्वीकृत पद 1952, भरे पद 924 तथा रिक्त पद 1028 इंगित हुए हैं, जैसा कि प्राप्त सूचना से स्पष्ट होता है। पदवार संकलित विवरण निम्नानुसार है:–

क्र0	पदनाम	ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	भरे पद	अभ्युक्ति
1.	आयुक्त कर	भा0प्र0से0 संवर्ग	01	01	
2.	अपर आयुक्त	10000 में 01 पद, 8900 में 06 पद, 8700 में 01 पद (लेखा)	08	06	01 पद पी0सी0एस0 संवर्ग व 02 पद लेखा संवर्ग हेतु
3.	संयुक्त आयुक्त	7600	15	14	संयुक्त निदेशक का 01 पद स्वीकृत
4.	उप आयुक्त	6600	52	40	

क्र0	पदनाम	ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	भरे पद	अभ्युक्ति
5.	सहायक आयुक्त	5400	105	70	
6.	वाणिज्य कर अधिकारी	4600	234	172	
7.	मुख्य प्रशा0 अधिकारी	5400	15	–	लिपिक संवर्ग में कनिष्ठ सहायक से पदोन्नति में पांच स्तर और हैं
8.	वरिष्ठ प्रशा0 अधिकारी	4800	78	65	
9.	प्रशासनिक अधिकारी	4600	78	–	
10.	प्रधान सहायक	4200	140	44	
11.	वरिष्ठ सहायक	2800	217	151	
12.	कनिष्ठ सहायक	2000	249	191	
13.	वैयक्तिक अधिकारी	4600	17	08	आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक संवर्ग
14.	वरिष्ठ वै0 सहायक	4200	40	10	
15.	वैयक्तिक सहायक	2800	58	29	
16.	संख्या सहायक	4200	02	–	मृत संवर्ग (पद समाप्त किया जाए)
17.	वरिष्ठ लेखा परीक्षक	4200	06	–	लेखा परीक्षक संवर्ग के पद समाप्त हों
18.	लेखा परीक्षक	2400	18	–	
19.	लेखाकार	2800	01	–	सहायक लेखाकार का पद?
20.	सहायक प्रोग्रामर	2800	03	–	
21.	वाहन चालक ग्रेड–1, ग्रेड–2, ग्रेड–3 व ग्रेड–4	4200, 2800, 2400, 1900	03, 20, 20, 23	01, 01, 02, 05	रिक्त पद समाप्त कर आउटसोर्स व्यवस्था।
22.	दफ्तरी	1900	06	–	पद समाप्त किया जाए
23.	अनुसेवक	1800	543	112	अनुसेवक के लगभग 28 प्रतिशत पद हैं जिन्हें कम किया जाना चाहिए
	योग	**1952**	**922**		

उत्तराखण्ड वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली, 2009 अनुसार वाणिज्य कर अधिकारी (ग्रेड वेतन 4600) में 50 प्रतिशत पद आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती से भरे जाने की व्यवस्था है जबकि 42 प्रतिशत पद प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–1 व ग्रेड–2 से पदोन्नति द्वारा, 01 प्रतिशत पद सांख्यिकी सहायकों (ग्रेड वेतन 4200) से तथा 07 प्रतिशत पद वैयक्तिक सहायक ग्रेड–1 से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। उत्तराखण्ड प्रान्तीय राजस्व सेवा (कर) नियमावली, 2016 से सहायक आयुक्त, उपायुक्त, संयुक्त आयुक्त व अपर आयुक्त/अपर आयुक्त (विशेष वेतनमान) के पदों की सेवा शर्तें शासित होती हैं। सहायक आयुक्त पद पर 50

प्रतिशत पद सीधी भर्ती से आयोग द्वारा व शेष 50 प्रतिशत पद वाणिज्य कर अधिकारियों से प्रोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। उपायुक्त व उत्तरोत्तर अपर आयुक्त तक के पद पदोन्नति से भरे जाते हैं।

प्राप्त सूचनाओं के क्रम में कार्यवाही हेतु निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय हैं–

1. लेखा परीक्षा सम्बन्धी दोनों पद क्रमशः वरिष्ठ लेखा परीक्षक व लेखा परीक्षक पद तत्काल समाप्त किये जायें क्योंकि लेखा परीक्षा (ऑडिट) विभाग पृथक से गठित हो चुका है तथा वर्णित पद भी रिक्त हैं।
2. लेखाकार का पद ग्रेड वेतन 2800 में सूचित किया गया जो उचित नहीं है। सहायक लेखाकार के दो पद सहित लेखाकार का एक पद रखा जा सकता है। उल्लेखनीय है कि ग्रेड वेतन 2800 में सहायक लेखाकार का पद होता है।
3. लिपिक संवर्ग में कनिष्ठ सहायक पद (ग्रेड वेतन 2000) में सीधी भर्ती उपरान्त कुल पांच अन्य प्रोन्नति स्तर उपलब्ध हैं। इस संवर्ग को स्टाफिंग पैटर्न की सुविधा अंतर्गत यह पद स्तर उपलब्ध हैं। सामान्यतः कर्मचारियों को पदोन्नति एवं ए0सी0पी0 दो ही लाभ अनुमन्य हैं। अतः जिस संवर्ग में पदोन्नति के पद उपलब्ध हों वहां लागू स्टाफिंग पैटर्न की सुविधा जारी रखने पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। वैयक्तिक सहायक/आशुलिपिक संवर्ग के लिए भी इस बिन्दु के सम्बन्ध में विचार किया जाय।
4. लम्बे समय से रिक्त पदों को बजट मैनुअल के प्रस्तर 33 के दृष्टिगत समाप्त करने के लिए परीक्षण कर विचार किया जाय।
5. अनुसेवकों के 549 पद सृजित हैं जो विभाग की कुल कार्मिक पद संख्या का लगभग 28 प्रतिशत है। इस पद की स्वीकृत संख्या अधिक प्रतीत होती है, इन्हें 200 या 230 करने पर विचार किया जाय एवं पदों की पूर्ति आगे आउटसोर्सिंग से हो।
6. चालकों के पद अधिकांश रिक्त हैं (66 पदों के सापेक्ष 09 कार्यरत)। इन पदों को भी वास्तविक आवश्यकतानुसार कम किया जाय तथा आगे आउटसोर्सिंग से व्यवस्था करने की कार्यवाही की जाय।
7. संख्या सहायक का एकमात्र पद रिक्त है तथा इसे मृतक संवर्ग बताया गया है। अतः यह पद तत्काल समाप्त किया जाय और वणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली में यथा आवश्यक संशोधन किया जाय।
8. सहायक प्रोग्रामर पद (ग्रेड वेतन 2800) के तीनों पद रिक्त हैं। इन पदों को तत्काल समाप्त किया जाय तथा वाह्य सेवा/आउटसोर्सिंग आधार पर सेवाएं लिए जाने पर विचार किया जा सकता है।

9. देश में जी0एस0टी0 लागू हो गया है (01 जुलाई 2017 से)। अतः इसके परिपेक्ष्य में वाणिज्य कर अधिकारी व उससे उच्च श्रेणी के पदों की संख्या का पुनः निर्धारण करने पर विचार किया जाय एवं पद सीमित किये जायें। इसी तरह लिपिक संवर्ग के पदों को भी सीमित किया जाना चाहिए।

10. लिपिक संवर्ग, संख्या सहायक तथा वैयक्तिक सहायक से वाणिज्य कर अधिकारी पद पर प्रोन्नति की व्यवस्था व इस हेततु नियत कोटा को समाप्त करने पर विचार किया जाय।

(17) मनोरंजन कर विभाग

मनोरंजन कर विभाग में वित्तीय वर्ष 2015–16 में वेतन भत्तों मद में रू. 1.50 करोड़ तथा अन्य मदों में रू. 4.92 करोड़ कुल रू. 6.42 करोड़ व्यय हुआ है तथा आय के अंतर्गत रू. 28.96 करोड़ दर्शाया गया है।

विभाग के ढांचे में कुल 87 पद स्वीकृत हैं जिसके सापेक्ष 37 कार्मिक कार्यरत है तथा 50 पद रिक्त हैं। चौकीदार/स्वीपर का एक पद है जो रिक्त है। इसी प्रकार अनुसेवक के 16 पदों में से एक भरा तथा शेष 15 रिक्त हैं। वर्तमान में वाह्य सेवा से कार्मिक रखे भी गये हैं।

जी0एस0टी0 लागू (01 जुलाई, 2017 से) होने पर मनोरंजन कर की व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। ऐसी दशा में मनोरंजन कर विभाग के वर्तमान ढांचे को बनाये रखने का औचित्य प्रतीत नहीं होता एवं तदानुसार कदाचित इसे समाप्त किया गया है/वाणिज्य कर विभाग में समाहित किया है। कार्यरत कार्मिकों के समायोजन की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(18) स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग

राज्य सरकार की राजस्व प्राप्ति में स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में इस मद में वास्तविक राजस्व प्राप्ति रू0 714.06 करोड़ रही है। वर्ष 2015–16 में विभाग का वेतन सम्बन्धी व्यय रू0 4.69 करोड़ सूचित किया गया है। सभी पद भर जाने की स्थिति में 2015–16 की दर पर वेतन व्यय लगभग रू0 5.27 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होता। सातवें पुनरीक्षित वेतन अनुसार सभी पदों के सापेक्ष वेतन व्यय लगभग रू0 11.45 करोड़ होता जबकि भरे पदों के सापेक्ष यह लगभग रू0 5.39 करोड़ होता है।

विभाग के वर्तमान प्रचालित ढांचा अनुसार सृजित व कार्यरत पदों का विवरण निम्नानुसार सूचित किया गया है:–

क्र0	पदनाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत	अभ्युक्ति
1.	महानिरीक्षक निबन्धन/	01	01	भा0प्र0से0 संवर्ग
2.	अपर महानिरीक्षक निबन्धन/8700	01	–	
3.	उप महानिरीक्षक निबन्धन/7600	02	01	
4.	सहायक महानिरीक्षक निबन्धन/6600	05	05	
5.	उप निबन्धक ग्रेड–1/5400	15	–	
6.	उप निबन्धक ग्रेड–2/4600	34	26	
7.	मुख्य निबन्धन लिपिक/2800	14	10	
8.	निबन्धन लिपिक/2000	85	59	
9.	वैयक्तिक सहायक/2800	06	02	
10.	रिकार्ड कीपर/2800	13	–	
11.	अनुसेवक/1800	65	10	
	योग	**240**	**113**	

विभाग का ढांचा व स्वीकृत पदों की संख्या यद्यपि सीमित है, तथापि वर्तमान तकनीकी/मशीनी उपलब्ध व्यवस्थाओं के दृष्टिगत निबन्धन लिपिकों की संख्या 60–62 तक सीमित करने पर विचार किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में प्रत्येक निबन्धन कार्यालय में कार्य की मात्रा के आधार पर इन पदों की न्यूनतम आवश्यक संख्या का निर्धारण कर लिया जाना चाहिए। अनुसेवक के 65 पदों के सापेक्ष 10 कार्यरत हैं, अतः वास्तविक आवश्यकता अनुसार अनुसेवक पद की संख्या भी सीमित करनी चाहिए। उप निबन्धक के कुल 49 पदों (श्रेणी 1 व श्रेणी 2 दोनों की सम्मिलित संख्या) के सापेक्ष 26 ही कार्यरत हैं, अतः वास्तविक आवश्यकता का आंकलन कर इन पदों की संख्या भी सीमित करने पर विचार किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि उत्तराखण्ड उप निबन्धक सेवा (संशोधन) नियमावली 2015 तथा उत्तरांचल उप निबन्धक सेवा नियमावली 2004 अनुसार कदाचित उप निबन्धक श्रेणी–1 का पद सृजित ही नहीं है परन्तु इस पद पर उप निबन्धक श्रेणी–2 से पदोन्नति द्वारा भर्ती की व्यवस्था है। यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त संशोधन नियमावली के नियम–22 (2) अनुसार उप निबन्धक श्रेणी–1 के पद कुल सृजित पदों का 30 प्रतिशत होने का उल्लेख है। यद्यपि कुल सृजित पदों की संख्या की जानकारी पृथक से नहीं की गई है बल्कि श्रेणी–2 के ही 49 पद इंगित हैं। कदाचित इन 49 पदों के 30 प्रतिशत पद अर्थात 15 पद (पूर्णांकित करने पर) इंगित किये गये हैं।

(19) कोषागार, पेंशन एवं हकदारी

विभाग में निदेशालय एवं उसके अधीन कोषागारों व अन्य कार्यालयों में पदों से सम्बन्धित स्थिति निम्नानुसार प्राप्त कराई गई है:–

क्र0	पदनाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1.	निदेशक/10000	01	01	–	
2.	अपर निदेशक/	03	03	–	निदेशालय
3.	मुख्य कोषाधिकारी/	04	04	–	01 पद निदेशालय में शेष कोषागारों हेतु
4.	उप निदेशक/	01	01	–	निदेशालय
5.	सहायक निदेशक/	01	01	–	निदेशालय
6.	वित्त अधिकारी/	01	01	–	निदेशालय
7.	वरिष्ठ कोषाधिकारी/	10	10	–	कोषागारों हेतु
8.	कोषाधिकारी/	18	16	02	–तदैव–
9.	उप कोषाधिकारी/	73	52	21	03 निदेशालय में शेष कोषागारों में
10.	सहायक कोषाधिकारी/	112	103	09	04 निदेशालय में शेष कोषागारों में
11.	सहा0 कोषाधिकारी रोकड़/	18	18	–	कोषागारों में
12.	सहायक लेखाधिकारी/	03	03	–	निदेशालय में
13.	वरिष्ठ प्रशा0 अधिकारी/	01	01	–	–तदैव–
14.	प्रशा0 अधिकारी/	01	01	–	–तदैव–
15.	प्रधान सहायक/	02	–	02	–तदैव–
16.	वरिष्ठ सहायक/	03	01	02	–तदैव–
17.	कनिष्ठ सहायक/	03	03	–	–तदैव–
18.	वैयक्तिक सहायक/	01	–	01	–तदैव–
19.	आशुलिपिक/सह कन्सोल ऑपरेटर	05	–	05	–तदैव–
20.	लेखाकार/	08	–	08	–तदैव–
21.	सहायक लेखाकार/	12	11	01	–तदैव–
22.	डिस्पैचर लिपिक/	01	01	–	–तदैव–
23.	कोषागार लेखाकार/	180	134	46	कोषागारों हेतु
24.	सहायक लेखाकार/	335	249	98	–तदैव–
25.	कोषागार लेखा लिपिक/	11	10	01	–तदैव–
26.	अनुसेवक/	153	75	78	10 पद निदेशालय में
27.	वाहन चालक/	11	07	04	05 पद निदेशालय में
	योग	**972**	**706**	**278**	

कोषागारों एवं निदेशालय में पदों की स्थिति के सम्बन्ध में यद्यपि किसी विशेष टिप्पणी की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती तथापि कोषागारों की संख्या सीमित करने एवं उपकोषागारों को समाप्त करने पर विचार किया जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था में ऐसा करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तदानुसार विभिन्न स्तर के पद भी सीमित किये जा सकते हैं। वित्त सेवा संवर्ग के ढांचे की भी समीक्षा कर उच्चतम स्तर के पदों सहित विभिन्न पदों की संख्या भी कुछ सीमित करने पर विचार किया जा सकता है। कोषागारों में कोषागार लेखा लिपिक के पदों को मृतक संवर्ग घोषित करने पर विचार किया जाना चाहिए अथवा इन पदों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए क्योंकि लेखा लिपिक पद अब नहीं रहा है। चतुर्थ श्रेंणी से लेखा लिपिक में प्रोन्नति हेतु यदि पदों का रहना आवश्यक हो तो भी निदेशालय में कनिष्ठ सहायक पदों के सापेक्ष ही प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार किया जाना चाहिए।

(20) निदेशालय विभागीय लेखा

पूर्व में लेखा एवं हकदारी निदेशालय के रूप में गठित कार्यालय को शासनादेश दिनांक 28 फरवरी, 2015 के क्रम में निदेशालय विभागीय लेखा के रूप में परिवर्तित किया गया और इस कार्यालय का कार्य, सहायक लेखाधिकारी एवं वित्तीय परामर्शदाता (जिला पंचायत में) के नियुक्ति प्राधिकारी के दायित्व निर्वहन तक ही सीमित किया गया है। सहायक लेखाधिकारी संवर्ग में विभिन्न विभागों के सहायक लेखाधिकारियों के सेवा सम्बन्धी प्रकरण इस निदेशालय द्वारा देखे जाते हैं। सहायक लेखाधिकारी के पद विभिन्न विभाग अंतर्गत हैं जिनकी कुल संख्या 84 (21 प्रतिनियुक्ति/निसंवर्गीय पद बताए गये हैं) है।

दिनांक 31.12.2016 स्थिति अनुसार निदेशालय में पदों की स्थिति निम्नानुसार सूचित की गई है :–

(निदेशालय विभागीय लेखा एवं इसके अधीन वित्तीय परामर्शदाता, जि0 पं0 कार्यालयों के पद)

क्र0	पदनाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1.	निदेशक/10000	01	01	–	
2.	अपर निदेशक/8900	01	01	–	
3.	उप निदेशक/6600	01	01	–	
4.	प्रोग्रामर/5400	01	–	01	NIC से आउटसोर्स आधार पर कार्यरत
5.	सहायक लेखाधिकारी/वित्तीय परामर्शदाता/4800	16	15	01	
6.	लेखाकार/4200	21	07	14	
7.	सहायक लेखाकार/2800	11	02	09	
8.	वैयक्तिक अधिकारी/4600	01	–	01	
9.	वरिष्ठ वैयक्तिक	02	–	02	

	सहायक/4200				
10.	वैयक्तिक सहायक/2800	03	–	03	
11.	प्रशासनिक अधिकारी/4600	03	02	01	
12.	प्रधान सहायक/4200	04	03	01	
13.	वरिष्ठ सहायक/2800	06	01	05	
14.	कनिष्ठ सहायक/2000	08	06	02	
15.	वाहन चालक ग्रेड–1/4200	01	01	–	
16.	वाहन चालक ग्रेड–2/2800	01	–	01	
17.	वाहन चालक ग्रेड–3/2400	01	–	01	
18.	वाहन चालक ग्रेड–4/1900	01	–	01	
19.	अनुसेवक/1800	19	05	14	
	योग	**102**	**44**	**58**	

निदेशालय विभागीय लेखा कार्यालय में कुल 41 पद सृजित हैं जिसके सापेक्ष 17 भरे व 24 रिक्त हैं जबकि जिला पंचायतों में वित्तीय परामर्शदाता कार्यालयों में कुल 57 पद सृजित हैं जिसके सापेक्ष 30 भरे व 27 रिक्त हैं। कई जिला पंचायतों में केवल 01 या 02 पद भरे हैं।

वर्तमान में इस निदेशालय पर कार्य केवल सहायक लेखाधिकारी संवर्ग के सेवा सम्बन्धी प्रकरण तक ही सीमित है, अतः निदेशालय को बनाए रखने की आवश्यकता एवं औचित्य की समीक्षा कर इसे समाप्त किया जाना चाहिए। इस निदेशालय पर अब शेष रहे सीमित कार्य को कोषागार निदेशालय पर ही स्थानान्तरित करने पर विचार किया जाय।

(21) राज्य निर्वाचन आयोग

दिनांक 31.12.2016 की स्थिति अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग में पदों सम्बन्धी विवरण निम्नानुसार सूचित किया गया है:–

क्र0	पदनाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1.	राज्य निर्वाचन आयुक्त/80000 नियत	01	01	–	
2.	सचिव/8900	01	01	–	प्रतिनियुक्ति
3.	उपायुक्त/7600	01	–	01	
4.	संयुक्त सचिव/8700	01	–	01	
5.	उप सचिव/7600	01	01	–	प्रतिनियुक्ति
6.	उप सचिव (लेखा)/7600	01	01	–	
7.	अनु सचिव/6600	01	01	–	
8.	सहायक आयुक्त/5400	02	02	–	01 प्रतिनियुक्ति से
9.	अनुभाग अधिकारी/4800	03	01	02	
10.	निजी सचिव/4800	02	01	01	
11.	समीक्षाधिकारी/4600	06	04	02	
12.	समीक्षा अधिकारी (लेखा)/4600	01	–	01	

क्र0	पदनाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
13.	अपर निजी सचिव/4600	03	02	01	02 डाटा इन्ट्री ऑपरेटर उपनल से अपर निजी सचिव के रिक्त पद के सापेक्ष
14.	सहायक समीक्षा अधि0/4200	03	02	01	
15.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर/4200	01	01	–	उपनल से
16.	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर/1900	04	04	–	02 उपनल से
17.	वाहन चालक/1900	02	02	–	02 उपनल से
18.	अर्दली/चपरासी/चौकीदार/स्वच्छक/1800	11	11	–	08 उपनल से
	योग	**45**	**35**	**10**	**15 उपनल से**

जनपद स्तर पर पंच स्थानी चुनावालय में दिनांक 31.12.2016 की स्थिति अनुसार पदों का विवरण इस प्रकार है:–

क्र0	पदनाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1.	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी/4600	13	09	04	01 प्रतिनियुक्ति से
2.	वरिष्ठ सहायक/2800	26	16	10	
3.	कनिष्ठ सहायक/2000	35	33	02	23 उपनल से
4.	चपरासी/चौकीदार/1800	35	39	05	16 उपनल से
	योग	**109**	**97**	**27**	

वर्ष 2015–16 का वेतन सम्बन्धी मूल व्ययभार लगभग रू0 3.28 करोड़ सूचित किया गया है। सभी पद भरे होने की दशा में यह व्यय लगभग रू0 3.83 करोड़ होता जो सातवें पुनरीक्षित वेतन में लगभग रू0 4.40 करोड़ होता है।

कार्यवाही हेतु निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय हैं :–

1. उपायुक्त एवं उप सचिव के 01–01 पद ग्रेड वेतन 7600 में हैं। अतः दोनों में से एक पद समाप्त कर दिया जाय। साथ ही सचिव एवं संयुक्त सचिव के दो अलग–अलग एकल पद हैं, अतः संयुक्त सचिव का पद समाप्त कर सचिव पद ग्रेड वेतन 8700 में रखा जा सकता है।
2. उप सचिव (लेखा) पद भी समाप्त कर दिया जाय और इसके स्थान पर वित्त सेवा संवर्ग से वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी का पद रखा जाय।
3. जिला स्तर पर कनिष्ठ सहायक तथा चपरासी/चौकीदार के पदों की संख्या 26–26 करने पर विचार किया जाय।

(22) अर्थ एवं संख्या विभाग

अर्थ एवं संख्या विभाग प्रदेश की आर्थिकी का मूल्यांकन एवं प्रदेश के आर्थिक नियोजन हेतु विभिन्न विषयों पर आंकड़ों के संग्रह करने एवं इन आंकड़ों का विलेषण कर जिला एवं राज्य के आय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुमान सम्बन्धी कार्य आदि करता है जिस हेतु यह केंद्रीय सांख्यकीय संगठन से समन्वय रखता है। साथ ही जिला स्तर पर जिला योजना के कार्यों की स्वीकृति तथा राज्य सरकार में योजनागत व्यय व आर्थिक समीक्षा एवं शोध आदि कार्य सम्पादित करता है।

विभाग में निदेशालाय, मण्डल, जनपद स्तर पर गठित कार्यालयों/ईकाइयों (विकासखण्ड स्तर के पद सहित) में सृजित व कार्यरत पदों की प्राप्त सूचना अनुसार कुल 408 पद स्वीकृत है जिसके सापेक्ष 199 पद भरे व 209 पद रिक्त बताए गये हैं। कार्यरत पदों के सम्बन्ध में वर्ष 2015–16 का वेतन सम्बन्धी व्ययभार रू0 11.33 करोड़ (बीस सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन अधिष्ठान सहित) इंगित किया गया है। यदि रिक्त पद भर दिये जाते हैं तो 2015–16 की दरों पर लगभग रू0 23.23 करोड़ का वेतन सम्बन्धी व्यय भार होगा तथा सातवें पुनरीक्षित वेतनमान लागू होने की दशा में प्रथम वर्ष का वेतन सम्बन्धी कुल व्यय लगभग रू0 26.70 करोड़ होता। दिनांक 30.11.2016 की स्थिति अनुसार विभिन्न पदों का विवरण निम्नानुसार सूचित किया गया है :–

क्र0	पदनाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1.	निदेशक/8900	1	1	–	
2.	अपर निदेशक/8700	1	1	–	
3.	संयुक्त निदेशक/7600	5	2	3	पदोन्नति हेतु पात्र अभ्यर्थी की उपलब्धता न होने से रिक्ति
4.	संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर)/7600	1	0	1	पूर्ववर्ती उ0प्र0 से विभाजन से प्रोग्रातर के रूप में आये व्यक्ति के दृष्टिगत
5.	उप निदेशक/6600	9	9	–	
6.	उप निदेशक कम्प्यूटर/6600	1	1	0	
7.	अर्थ एवं संख्याधिकारी/शोध अधिकारी/5400	32	18	14	20 सूत्रीय कार्यक्रम कार्यालय में शोध अधिकारी की
8.	अपर सांख्यकीय अधिकारी/4600	84	76	8	

क्र०	पदनाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
9.	सहायक सांख्यकीय अधि0/4200	125	10	115	
10.	चीफ कार्टोग्राफर/5400	1	0	1	
11.	कार्टोग्राफिक असिस्टेंट/4200	10	5	5	
12.	मुख्य प्रशासनिक अधि0/5400	1	1	–	
13.	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/4800	7	6	1	
14.	प्रशासनिक अधिकारी/4600	7	5	2	
15.	वैयक्तिक अधिकारी/4600	1	1	–	
16.	निजी सचिव/4200	1	0	1	
17.	प्रधान सहायक/4200	12	12	–	
18.	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक/4200	2	0	2	
19.	वैयक्तिक सहायक/2800	2	2	–	
20.	वरिष्ठ सहायक/2800	19	13	6	
21.	कनिष्ठ सहायक/2000	21	17	4	
22.	चालक/1900	14	5	9	
23	चपरासी/1800	51	14	37	
	योग	**408**	**199**	**209**	

प्राप्त सूचनाओं के दृष्टिगत कार्यवाही हेतु चिन्हित बिन्दु निम्नानुसार विचारणीय हो सकते हैं:–

1. चीफ कार्टोग्राफर एवं कार्टोग्राफिक असिस्टेंट के क्रमशः 1 व 10 पद सृजित हैं जबकि कार्यरत क्रमशः 0 एवं 5 हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अब कार्टोग्राफर पद की कदाचित आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है। एक बैठक के दौरान विभाग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि यह पद मृतक संवर्ग माने गये हैं, अतः कार्टोग्राफिक सहायक पद की रिक्तियां जो भी हैं या आगे होंगी उन्हें नहीं भरा जाए। यदि कार्यरत कार्टोग्राफिक सहायकों की अर्हता हो तो उन्हें समान वेतनमान के अन्य पद पर समायोजन अथवा सीमित व्यवस्था द्वारा अपर सांख्यकीय अधिकारी पद पर प्रोन्नति की कार्यवाही करने पर विचार किया जाय।

2. निजी सचिव एवं वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक पद ग्रेड वेतन 4200 में हैं। इस प्रकार एक ही संवर्ग में दो अलग–अलग पदनाम के समान ग्रेड वेतन के पद बने रहना उचित प्रतीत नहीं होता, अतः इस स्थिति को सुधार लिया जाय, चूंकि निजी सचिव व वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक दोनों पद रिक्त हैं अतः आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक संवर्ग में इस स्तर के

पोषक संवर्ग की पद संख्या के आधार पर यथोचित संख्या में एक ही पदनाम का पद रखा जाना चाहिए।

3. कम्प्यूटर शाखा के संयुक्त निदेशक, उप निदेशक एवं प्रोग्रामर पदों को सेवा नियमावली में मृत संवर्ग अंकित किया गया है। वर्तमान में केवल उप निदेशक के एक पद के सापेक्ष एक कर्मचारी कार्यरत बताए गये हैं जो कदाचित पूर्ववती उ0प्र0 राज्य से प्रोग्रामर के रूप में विभाजन के फलस्वरूप आये थे और यहां उन्हें उच्चीकृत किया जा चुका है। संयुक्त निदेशक कम्प्यूटर का पद समाप्त कर दिया जाय।

4. लिपिकीय एवं आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक संवर्ग में ए0सी0पी0 व प्रोन्नति के साथ-साथ स्टाफिंग पैटर्न का लाभ भी अनुमन्य है जिस पर पुनर्विचार किया जा सकता है।

5. अपर सांख्यकीय अधिकारी, सहायक सांख्यकीय अधिकारी एवं चपरासी के पदों की संख्या कम की जा सकती है (चपरासी में आउटसोर्सिंग से नियोजन होता है, अतः इस हेतु कम संख्या हो)।

6. साथ ही अर्थ एवं संख्या विभाग को वित्त विभाग के अधीन रखा जाय जिसके अधीन अर्थ एवं संख्या निदेशालय व उसके अंतर्गत जनपद/अन्य क्षेत्रीय ईकाईयां पूर्ववत रहें।

(23) राज्य योजना आयोग

नियोजन विभाग अंतर्गत राज्य योजना आयोग स्थापित व संचालनरत है। आयोग में पदों के सम्बन्ध में स्थिति निम्नानुसार सूचित की गई है:-

क्र0	पद का नाम	वेतन लेवल	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1.	निदेशक	13क	01	–	01	
2.	तकनीकी विशेषज्ञ	13	01	–	01	
3.	अपर निदेशक	13	01	–	01	
4.	संयुक्त निदेशक	12	03	–	03	
5.	वरिष्ठ शोध अधिकारी	11	07	04	03	
6.	वरिष्ठ शो0अधि0 (अभियांत्रिकी)	11	01	01	–	
7.	वरिष्ठ कम्प्यूटर प्रोग्रामर	11	01	–	01	
8.	शोध अधिकारी	10	10	–	10	
9.	शो0अधि0 (अभि0)	10	02	–	02	
10.	समन्वय अधि0	06	01	01	–	
11.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	06	01	01	–	
12.	अपर शोध अधि0 (सां0)	07	08	03	05	

क्र0	पद का नाम	वेतन लेवल	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
13.	शोध सहायक (अभि0)	06	02	–	02	
14.	समन्वयक सहायक	05	01	–	01	
15.	सहा0शो0अधि0 (सां0)	06	12	03	09	
16.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	02	04	–	04	
17.	मुख्य समन्वय अधि0	13(क)	01	01	–	
18.	उप सचिव	12	01	–	01	
19.	अनुसचिव	11	01	–	01	
20.	अनुभाग अधिकारी	06	01	–	01	
21.	निजी सचिव	06	02	–	02	
22.	पुस्तकालयाध्यक्ष	08	01	01	–	
23.	समीक्षा अधिकारी	06	03	03	–	
24.	सहायक समीक्षा अधिकारी	05	04	02	02	
25.	अपर निजी सचिव	06	04	02	02	
26.	लेखाकार/कोषाध्यक्ष	06	01	–	01	
27.	सहायक लेखाकार	05	02	–	02	
28.	पुस्तकालय सहायक	02	01	01	–	
29.	कम्प्यूटर टाइपिस्ट	02	05	04	01	
30.	चालक	02	05	01	04	
31.	फोटो स्टेट ऑपरेटर	01	01	–	01	
32.	अनुसेवक	01	12	–	12	
	योग		**101**	**27**	**74**	

वित्तीय वर्ष 2015–16 में वेतन सम्बन्धी कुल व्यय लगभग रू0 1.82 करोड़ बताया है जो सभी पद भरे होने की दशा में लगभग रू0 6.80 करोड़ होता। सातवें पुनरीक्षित वेतनमान में यह व्यय लगभग रू0 7.82 करोड़ होता है।

भारत सरकार के स्तर पर विगत समय योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग गठित किया गया है और बजट में आयोजनागत व आयोजनेत्तर के रूप में बजट प्राविधान व व्यय के विभाजन की व्यवस्था भी केन्द्र के साथ–साथ राज्य सरकार के स्तर पर भी समाप्त की जा चुकी है। अतः ऐसी दशा में राज्य योजना आयोग के यथावत् बनाए रखने के सम्बन्ध में पुनर्विचार करने की आवश्यकता प्रतीत होती है। इस मध्य अधिसूचना दिनांक 08 अगस्त, 2017 के द्वारा राज्य सरकार द्वारा 'उत्तराखण्ड स्टेट सेन्टर फॉर पब्लिक पालिसी एण्ड गुड गवर्नेन्स' का गठन किया गया है। इस केन्द्र का मुख्य कार्य निम्नानुसार इंगित है:–

1. विभिन्न विभागों के नीति नियोजन सम्बन्धी कार्यों में सहयोग प्रदान करना।

2. विभिन्न विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, स्वायत्तशासी संस्थानों, राज्य तथा केन्द्र सरकार द्वारा सौंपे गये विभिन्न नीति नियोजन, शोध, सर्वेक्षण आदि कार्यों में सहयोग प्रदान करना।

3. विभिन्न विभागों एवं संस्थानों के माध्यम से शोध तथा नीति नियोजन हेतु कार्य उत्पादित करना।

उक्तानुसार गठित केन्द्र के लिए सचिवालय का भी गठन करते हुए पद स्वीकृत किये गये हैं। इस केन्द्र के गठन होने के फलस्वरूप पूर्व से गठित राज्य योजना आयोग के सम्बन्ध में सरकार का क्या विचार है यह जानकारी वेतन समिति को नहीं है, यद्यपि ऐसा अनुमानित है कि कदाचित राज्य योजना आयोग पूर्ववत् विद्यमान है। राज्य योजना आयोग के द्वारा निर्वहन किये जा रहे कार्यों व उक्त वर्णित केन्द्र के कार्यों के मध्य कोई समानता व समंजस्य की भी स्थिति प्रतीत नहीं होती है, यद्यपि लोक नीति/विभागों के नीति नियोजन विषयक व्यापक हैं। राज्य योजना आयोग का दायित्व कदाचित नीतियों के क्रम में विभागीय योजनाओं का गठन, मूल्यांकन, अनुश्रवण व क्रियान्वयन/तकनीकी ऑडिट आदि से सम्बन्धित है।

प्राप्त सूचनाओं व जानकारी के क्रम में निम्नलिखित बिन्दु विचार योग्य हैं :-

1. भारत सरकार के स्तर पर योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग के गठन हो जाने तथा राज्य में उत्तराखण्ड स्टेट सेन्टर फॉर पब्लिक पालिसी एण्ड गुड गवर्नेन्स की स्थापना कर दिये जाने के क्रम में राज्य योजना आयोग को बनाए रखने अथवा उसमें यथा आवश्यक परिवर्तन के सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए। उचित होगा कि राज्य योजना आयोग के स्वरूप, उसके उद्देश्य तथा कार्यक्षेत्र में यथा आवश्यक परिवर्तन कर इसे नयी आवश्यकता अनुरूप रखा जाय। इस सम्बन्ध में राज्य में संपोषणीय, समन्वित, समावेशी, समतामूलक (इन्टर इजरेशन समता सहित) विकास की अवधारणा को संतोषणीय विकास लक्ष्यों की दृष्टि से राज्य के पन्द्रह वर्षीय, सात वर्षीय व तीन वर्षीय दृष्टिकोण, रणनीति एवं कार्य योजना की पूर्ति हेतु नये संस्थान को स्थापित किया जाय। इसे वित्त विीााग के अधीन एक प्रभाग के रूप में ही रखा जाय न कि एक पृथक आयोग के रूप में तथा इसे नाम 'राज्य नियोजन प्रभाग' रखा जा सकता है। साथ ही इस संस्था में केन्द्रीय कृत रूप से योजनाओं के गठन, मूल्यांकन, अनुश्रवण व क्रियान्वयन/तकनीकी ऑडिट के लिए एक दल/कार्यालय की व्यवस्था की जाय। यह व्यवस्था वर्तमान योजना आयोग की कार्यरत व्यवस्था का स्थान ले सकेगी।

2. नियोजन विभाग पृथक न रहे बल्कि इसे वित्त विभाग के अधीन ही रखा जाय।

3. उक्त के क्रम में वर्णित दल/कार्यालय हेतु निम्नानुसार विचार किया जा सकता है:–

क्र0	पद का नाम	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1.	निदेशक	01	नये केन्द्र के निदेशक ही पदेन कार्य देखें
2.	अपर निदेशक	01	–तदैव–
3.	संयुक्त निदेशक	02	
4.	वरिष्ठ शोध अधिकारी	03	
5.	शोध अधिकारी	06	विभिन्न विषय समूहों के लिए 01–01
6.	अपर शोध अधिकारी	12	विभिन्न विषय समूहों के लिए 02–02
7.	संयुक्त निदेशक (अभियांत्रिकी)	01	अधीक्षण अभियन्ता स्तर
8.	उप निदेशक (अभियांत्रिकी)	02	अधिशासी अभियन्ता स्तर
9.	सहायक निदेशक (अभियांत्रिकी)	04	सहायक अभियन्ता स्तर
10.	निजी सचिव संवर्ग के पद	02	
11.	लिपिकी संवर्ग के पद	06	
12.	लेखाकार	01	
13.	सहायक लेखाकार	02	
14.	चालक	02	
15.	चतुर्थ श्रेणी	06	

उक्तानुसार सुझावित ढांचे के पदों में वर्तमान योजना आयोग के कार्यरत कार्मिकों का समायोजन कर लिया जा सकता है।

(24) पशुपालन विभाग

पशुपालन विभाग का वित्तीय वर्ष 2015–16 में वेतन सम्बन्धी व्यय रू0 130.00 करोड़ है। सातवें पुनरीक्षित वेतन अनुसार भरे पदों के सम्बन्ध में वेतन व्यय लगभग रू0 150.00 करोड़ होता है। सभी पद भरे होने की दशा में 2015–16 का वेतन व्यय लगभग रू0 150.46 करोड़ होता जो सातवें पुनरीक्षित वेतन में लगभग रू0 173.00 करोड़ होता है। पशुपालन विभाग के शासनादेश संख्या 4184/XV-1/09/2(96)/05 दिनांक 22 दिसम्बर, 2009 द्वारा पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड के संरचनात्मक ढांचे का पुनर्गठन किया गया है जिसके अंतर्गत कुल तीन हजार आठ पदों का सृजन किया गया है जो निम्न प्रकार है:–

क्र0	संवर्ग	पदों की संख्या
1.	पशु चिकित्सा	483
2.	सांख्यिकी	56
3.	चारा	22
4.	आशुलिपिक	25
5.	मिनिस्टीरियल	217
6.	लेखा	44

7.	वैटनरी फार्मासिस्ट	333
8.	पशुधन प्रसार अधिकारी	905
9.	प्रचार	02 (मृत संवर्ग)
10.	प्रयोगशाला सहायक	17
11.	विपणन सेवा	07
12.	चालक	42
13.	ब्रायलर मैन	01 (मृत संवर्ग)
14.	विद्युत यांत्रिक	05 (मृत संवर्ग)
15.	ट्रैक्टर मैकेनिक	07 (मृत संवर्ग)
16.	प्लान्ट ऑपरेटर/मैकेनिक	12 (मृत संवर्ग)
17.	चतुर्थ श्रेणी	830 की सीमा तक (मृत संवर्ग) (वर्तमान में 1188 कर्मचारी कार्यरत हैं जिनके सेवानिवृत्त होने के उपरान्त 830 पदों की सीमा तक आउटसोर्सिंग के माध्यम से व्यवस्था की जाएगी)
	योग	**3008**

उपरोक्त विवरणानुसार क्रमांक 09, 13, 14, 15 एवं 16 संवर्ग के अंतर्गत सृजित कुल 27 पद मृत संवर्ग के अंतर्गत घोषित किया गया है।

31 मार्च, 2017 की स्थिति की सूचना अनुसार पशुपालन विभाग में पदों की सूचना निम्नानुसार इंगित है–

क्र०	पदनाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1.	निदेशक/10000	01	01	–	
2.	अपर निदेशक/8700	04	04	–	
3.	संयुक्त निदेशक/7600	37	36	01	01 पद अस्थाई
4.	पशु चिकित्साधिकारी ग्रेड–1/6600	152	133	19	
5.	ज्येष्ठ शोध अधिकारी/6600	01	01	–	
6.	उप निदेशक सांख्यकीय/6600	01	–	01	अस्थाई पद
7.	पशु चिकित्साधिकारी ग्रेड–2/5400	309	198	111	20 पद अस्थाई
8.	संख्याविद/संख्याधिकारी/5400	03	–	03	01 अस्थाई पद
9.	ऊन विश्लेषण/प्रभारी अधिकारी/5400	02	02	–	
10.	चारा विकास अधिकारी/5400	03	02	–	
11.	मुख्य वैटनरी फार्मासिस्ट/5400	26	12	14	
12.	वरिष्ठ वित्त अधिकारी/6600	01	01	–	
13.	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/5400	13	08	05	
14.	सहायक लेखाधिकारी/4800	03	03	–	

क्र०	पदनाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
15.	वरिष्ठ प्रशा0 अधिकारी/4800	17	14	03	
16.	अपर सांख्यकीय अधि0/अपर शोध अधिकारी सांख्यकीय/4600	19	19	—	06 पद अस्थाई
17.	प्रशासनिक अधिकारी/4600	17	17	—	
18.	वैयक्तिक अधिकारी/4600	04	01	03	
19.	क्षेत्र प्रबन्धक/मुख्य प्रसार अधिकारी/4600	13	02	11	
20.	सहायक ऊन विश्लेषण अधिकारी/4600	01	01	—	
21.	सहायक सांख्यकीय अधिकारी/सहायक शोध अधिकारी/4200	28	13	15	06 पद अस्थाई
22.	निरीक्षक/4200	01	—	01	अस्थाई पद
23.	संगणक/डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/4200	04	—	04	अस्थाई पद
24.	वैटनरी फार्मासिस्ट/4200	327	208	119	20 पद अस्थाई
25.	चारा सहायक ग्रुप–1/4200	06	04	02	
26.	क्षेत्र प्रसार अधि0/ज्येष्ठ प्रसार अधि0/4200	118	51	67	
27.	भण्डार पर्यवेक्षक/बिन निरीक्षक/4200	02	01	01	
28.	ज्येष्ठ लेखा परीक्षक/4200	01	01	—	
29.	लेखाकार/4200	18	18	—	
30.	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक/4200	08	02	06	
31.	प्रधान सहायक/4200	40	40	—	
32.	पशुधन प्रसार अधिकारी/2800	882	540	342	04 पद अस्थाई
33.	चारा सहायक ग्रुप–2/2800	06	03	03	
34.	सहायक लेखाकार/2800	19	02	17	
35.	लेखा परीक्षक/2800	02	—	02	
36.	प्रयोगशाला सहायक–1/2800	03	03	—	
37.	स्नातक सहायक/2800	02	—	02	
38.	प्लान्ट ऑपरेटर/2800	09	09	—	
39.	शीतल यंत्र यात्रिक/2800	01	01	—	
40.	वैयक्तिक सहायक/2800	13	02	11	
41.	वरिष्ठ सहायक/2800	61	56	05	
42.	वाहन चालक/2000/2400/4200/4600	42	36	06	01 पद आयोजनागत
43.	कनिष्ठ सहायक/2000	69	63	06	01 पद आयोजनागत

क्र०	पदनाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
44.	चारा सहायक ग्रुप–3/2000	06	03	03	
45.	प्रयोगशाला सहायक/2000	14	12	02	
46.	विद्युत यांत्रिक/2000/1800	02+02	02+02	–	
47.	प्रचार पर्यवेक्षक/1900	01	01	–	
48.	ट्रेक्टर ऑपरेटर/1900	04	04	–	
49.	चतुर्थ श्रेणी/1800	830	1188	–358	358 अधिक कार्यरत
	योग	**3148**	**2720**	**428**	**रिक्त पद 786**

उक्तानुसार शासनादेश दिनांक 22.12.2009 में इंगित कुल पदों तथा मार्च, 2017 की स्थिति अनुसार इंगित कुल पदों में 140 पदों का अन्तर है। कदाचित इस मध्य अतिरिक्त पद सृजित हुए होंगे।

राज्य में पशु चिकित्सालयों की संख्या कुल 343 (श्रेणी 'द' के 10 चिकित्सालय सहित), पशु सेवा केन्द्र 770, कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र 682, भेड़ प्रक्षेत्र 11, बकरी प्रक्षेत्र/अंगोरा बकरी प्रक्षेत्र 02, पशुधन प्रक्षेत्र 04, कुक्कुट प्रक्षेत्र 07, अंगोरा शशक प्रक्षेत्र 05, सघन कुक्कुट विकास परियोजना 08, भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्र/मेढ़ा केन्द्र 113, रोग निदान प्रयोगशाला 08, सूकर प्रक्षेत्र 02, ऊन श्रेणीकरण केन्द्र 01 होना सूचित किया है। विभाग के अंतर्गत 05 बोर्ड/आयोग भी बताए गये हैं जो क्रमशः पशुधन विकास परिषद, भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड, पशु कल्याण बोर्ड, उत्तराखण्ड गौ सेवा आयोग तथा उत्तराखण्ड पशु चिकित्सा परिषद हैं।

प्राप्त सूचना तथा विभागीय अधिकारियों से विचार–विमर्श के दृष्टिगत निम्नांकित बिन्दु कार्यवाही हेतु विचारणीय हैं–

1. आडिट विभाग पृथक से गठित हो गया है अतः ज्येष्ठ लेखा परीक्षक एवं लेखा परीक्षक के पद समाप्त कर दिये जाएं। ज्येष्ठ लेखा परीक्षक के रूप में कार्यरत 01 कार्मिक के लेखा सम्बन्धी पद पर समायोजन करने पर विचार किया जा सकता है।
2. सांख्यकीय संवर्ग में उप निदेशक का 01 पद, संख्याधिकारी के 03 पद, अपर सांख्यकीय अधिकारी के 19 पद, सहायक सांख्यकीय अधिकारी के 28 पद, निरीक्षक का 01 पद एवं संगणक के 04 पद हैं। यह स्थिति पिरामिड सिद्धान्त अनुसार नहीं है। निरीक्षक एवं संगणक के पद समाप्त करने सहित अपर सांख्यकीय अधिकारी के 15 पद रखे जाने पर विचार किया जा सकता है। साथ ही ज्येष्ठ शोध अधिकारी के 01 पद को भी समाप्त किया जा सकता है।
3. पशुधन प्रसार अधिकारी संवर्ग में मुख्य प्रसार अधिकारी, क्षेत्र प्रसार अधिकारी तथा पशुधन प्रसार अधिकारी के पद हैं। पशुधन प्रसार अधिकारी का कार्य कदाचित प्रसार कार्य सहित टीकाकरण करना है। पशुधन प्रसार अधिकारी के 882 पद है जिसमें 540 कार्यरत हैं, मुख्य प्रसार अधिकारी के 13 पद हैं जिसमें 02 कार्यरत हैं, प्रसार के एक ओर अब

नये तरीके व माध्यम अपनाए जा सकते हैं तो दूसरी ओर कृषि मेला आदि अवसरों व उपलब्ध मंचों का भी उपयोग किया जा सकता है। यह भी उल्लेखनीय है कि 682 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों का उपयोग भी प्रसार व टीकाकरण हेतु किया जा सकता है। पशु सेवा केन्द्र 770 बताए गये हैं जिनमें भी टीकाकरण किया जा सकता है। अतः पशुधन प्रसार अधिकारियों की पद संख्या फिलहाल लगभग 550–600 तक सीमित करने पर विचार किया जाय। इसे वास्तविक आवश्यकता व स्थितियों का अध्ययन कर इस पद की संख्या अग्रेत्तर और कम कर प्रत्येक दो न्याय पंचायत पर 01 पद आधार पर लगभग 330 तक सीमित करने पर विचार किया जा सकता है। पशुधन प्रसार अधिकारी न्याय पंचायत क्षेत्र के गांवों में भ्रमण कार्यक्रम पूर्व से नियत कर टीकाकरण सहित प्रसार का कार्य कर सकते हैं। क्षेत्र प्रसार अधिकारियों की संख्या प्रत्येक दो विकासखण्डों पर 01 अनुसार लगभग 50 तक सीमित की जा सकती है। जनपद स्तर पर प्रसार व टीकाकरण सम्बन्धी कार्य का पर्यवेक्षण मुख्य पशु चिकित्साधिकारी कर सकते हैं। मुख्य प्रसार अधिकारी के पद तदानुसार जनपद में रखने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती परन्तु निदेशालय स्तर पर कुल 02–03 पद रखे जा सकते हैं।

4. पशु सेवा केन्द्रों की संख्या 770 है। इनकी संख्या प्रत्येक न्याय पंचायत हेतु 01 अनुसार रखी जा सकती है जो उस न्याय पंचायत के केन्द्र अथवा प्रमुख स्थान पर हो। तदानुसार पशु चिकित्साधिकारी व वैटनरी फार्मासिस्ट आदि पदों की संख्या सीमित की जानी चाहिए।

5. स्नातक सहायक एवं प्रचार पर्यवेक्षक के पद समाप्त किये जाने चाहिए। इसी प्रकार विद्युत यांत्रिक तथा शीतलक यंत्र यांत्रिक के पद भी समाप्त कर सेवाएं बाजार से प्राप्त की जा सकती हैं।

6. संयुक्त निदेशकों के 37 पद हैं। परिषद, बोर्ड, आयोग, प्रक्षेत्र आदि में इस स्तर के ऐसे पद जो एक ही शहर अथवा स्थान में स्थित हों अर्थात आसपास निकट दूरी में स्थित हों उनमें पदेन व्यवस्था अथवा एक से अधिक ईकाईयों में एक ही अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार की व्यवस्था से कार्य संचालन किया जाना चाहिए। तदानुसार संयुक्त निदेशक व समकक्ष 37 पदों की संख्या सीमित की जा सकती है।

7. पशुपालन विभाग द्वारा चारा विकास का भी कार्य किया जा रहा है जिसके लिए वर्तमान में देहरादून स्थित कालसी एवं रूद्रपुर में चारा बनाने की फैक्ट्री संचालित है। यहां से चारा बनाकर विभिन्न जिलों में चारा का ट्रांसपोर्ट किया जाता है। विभाग को ये आंकलन करना होगा कि चारा बनाने पर कार्मिकों के वेतन, चारा के रॉ मैटिरियल की कीमत, प्लान्ट मशीनरी की कीमत एवं ट्रांसपोर्टेशन की कीमत को जोड़कर वास्तविक

लागत क्या आती है तथा खुले बाजार से किस दर पर चारे की आपूर्ति की जाती है, उसमें कितना अंतर है। यदि निविदा के माध्यम से प्राइवेट कंपनीज को चारा विकास का कार्य दिया जाये तो कितनी धनराशि का व्यय आयेगा। विभाग को इस ओर आंकलन करने की आवश्यकता है।

8. पशुपालन विभाग द्वारा भेड़ों के प्रजनन के पश्चात नर भेड़ों को अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को वितरित किया जाता है जिससे उनकी जीवन यापन के लिए आय में वृद्धि हो सके। इसी प्रकार कुक्कुट विकास योजना के तहत ऊपर लिखित लोगों को चूजे वितरित किये जाते हैं जो उनकी आय का साधन बन सकें। विभाग के पास उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर यह विश्लेषण किया जाना चाहिए कि विगत काफी वर्षों से इस योजना के संचालन के फलस्वरूप उन लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है या नहीं। यदि नहीं तो उसका कारण क्या है और इसमें क्या सुधार लाया जा सकता है।

9. पशुपालन विभाग की भांति डेरी विकास तथा मत्स्य विकास के विभाग भी अलग से कार्यरत हैं। प्रशासनिक स्तर पर इन तीनों विभागों को एक करने पर भी विचार किया जा सकता है जिसमें शासन स्तर पर एक प्रशासकीय विभाग के सचिव होंगे तथा एक निदेशालय के अंतर्गत पशुपालन, मत्स्य एवं डेरी विकास की अलग–अलग शाखा कार्य कर सकती हैं।

(25) दुग्ध विकास विभाग एवं महिला डेयरी विकास परियोजना

दुग्ध विकास विभाग में 31.12.2016 की स्थिति अनुसार पदों के सम्बन्ध में निम्नानुसार सूचना मिली है:–

क्र0	पद का नाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1.	निदेशक/	01	01	–	आई0ए0एस0/पी0सी0एस0 संवर्ग से
2.	संयुक्त निदेशक/7600	01	01	–	
3.	उप निदेशक/6600	03	01	02	
4.	सहायक निदेशक/5400	13	13	–	जनपद स्तर पर
5.	दु0प्रा0 अभियन्ता/	01	–	01	
6.	सहायक लेखाधिकारी/	01	01	–	
7.	वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक/	13	04	–	जनपद स्तर पर
8.	दुग्ध निरीक्षक/	25	25	–	जनपद स्तर पर
9.	रा0दु0 पर्यवेक्षक/	50	40	10	जनपद स्तर पर
10.	वरिष्ठ प्रशा0 अधिकारी/	01	01	–	
11.	प्रशासनिक अधिकारी/	05	05	–	

क्र0	पद का नाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
12.	प्रधान सहायक/	05	05	–	
13.	वरिष्ठ सहायक/	09	06	03	
14.	कनिष्ठ सहायक/	09	09	–	
15.	वरिष्ठ वैयक्तिक अधि0/	01	–	01	
16.	वैयक्तिक अधिकारी/	02	01	01	
17.	वैयक्तिक सहायक/	03	–	03	
18.	चालक ग्रेड–1/	01	01	–	
19.	चालक ग्रेड–2/	06	03	03	
20.	चालक ग्रेड–3/	06	02	04	
21.	चालक ग्रेड–4/	06	–	06	
22.	सहयोगी/	23	12	11	
	योग	**205**	**139**	**66**	

उक्त के अतिरिक्त महिला डेयरी विकास परियोजना भी संचालित है जिस हेतु जनवरी 2016 की स्थिति अनुसार संविदा (नियत वेतन) पर निम्नलिखित कर्मचारी कार्यरत बताए गये हैं:–

क्र0	पद का नाम/ग्रेड वेतन	नियत मानदेय	कार्यरत कार्मिक
1.	परियोजना समन्वयक	32500	01
2.	उप प्रबन्धक	28000	01
3.	सहायक प्रबंधक	24500	10
4.	पशु चिकित्सक	32500	01
5.	लेखाकार	17500	02
6.	कम्प्यूटर ऑपरेटर	16000	02
7.	कार्यालय अधीक्षक	17500	01
8.	अन्वेषक सह संगणक	17500	01
9.	स्टोर कीपर	16000	01
10.	लिपिक सह लेखा सहायक	15000	13
11.	वरिष्ठ इन्स्ट्रक्टर/वरिष्ठ महिला इन्स्ट्रक्टर	17500	14
12.	महिला इन्स्ट्रक्टर	16000	08
13.	महिला प्रसार कार्यकर्ता	15000	45
14.	जीप चालक	14000	17
15.	सहयोगी	12000	12
	योग		**129**

प्राप्त सूचनाओं के दृष्टिगत निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय हैं :–

1. डेयरी विभाग को पशुपालन विभाग के अंतर्गत ही एक शाखा के रूप में समाहित कर दिया जाय जिसमें मुख्यालय स्तर पर एक संयुक्त सचिव व 02 उप सचिव पद तथा जनपद स्तर पर 01–01 सहायक निदेशक पद रखे जा सकते हैं। वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक

के 04 या 05 पद (प्रत्येक तीन जनपद हेतु 01 पद) तथा दुग्ध निरीक्षक के लगभग 18–20 पद (प्रति जनपद 01 अथवा 02) एवं दुग्ध पर्यवेक्षक के 28–30 पद (प्रति जनपद 02 न्यूनतम) रखे जा सकते हैं। वरिष्ठ वैयक्तिक अधिकारी एवं वैयक्तिक अधिकारी के पद समाप्त कर दिये जा सकते हैं जबकि वैयक्तिक सहायक व आशुलिपिक के क्रमशः 01 व 02 पद हो सकते हैं। सहायक लेखाधिकारी का 01 पद सहित लेखाकार के 02 तथा सहायक लेखाकार के 05 पद रखने पर विचार किया जा सकता है। लिपिक संवर्ग में तदानुसार वास्तविक न्यूनतम आवश्यकतानुसार पद रहें। चालकों के केवल 15 पद (13 जनपद व 02 मुख्यालय) रहें जिनमें आउटसोर्सिंग माध्यम व्यवस्था की जा सकती है जबकि सहयोगी के लगभग 15 या 16 पद (प्रति जनपद 01 तथा मुख्यालय 02) हो सकते हैं।

2. महिला डेयरी विकास परियोजना को पृथक से संचालित करने के स्थान पर इस परियोजना को दुग्ध विकास विभाग/शाखा में ही समाहित कर दिया जाय और दुग्ध विकास के लिए स्वीकृत पदों से ही कार्य लिया जाय। यदि परियोजना का वित्त पोषण किसी वाह्य स्रोत से अथवा केंद्र से नहीं है तो पृथक परियोजना के रूप में संचालन का कोई औचित्य नहीं बनता है। जहां तक दुग्ध सहकारी समितियों का विषय है यह अन्य सहकारी समितियों के अनुरूप स्वायत्त रूप से संचालित की जानी चाहिए और महिला दुग्ध सहकारी समितियों को यथा आवश्यक मार्गदर्शन, सहयोग की कार्यवाही पर सरकार विचार कर सकती है। जिला पशुधन अधिकारी जनपद स्तर पर ऐसी सहकारी समितियों के पदेन सहायक रजिस्ट्रार नामित किये जा सकते हैं।

(26) मत्स्य विभाग

मत्स्य विभाग में कुल 219 पद सृजित बताए गये हैं जिसके सापेक्ष 165 पद भरे व 54 रिक्त सूचित किये गये हैं। प्राप्त सूचना अनुसार विभाग अंतर्गत पदों की स्थिति निम्नानुसार इंगित हुई है:–

क्र0	पदनाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत	अभ्युक्ति
1.	निदेशक/8900	01	–	पदोन्नति लम्बित
2.	संयुक्त निदेशक/7600	02	–	तदैव
3.	उप निदेशक/6600	04	02	तदैव
4.	सहायक निदेशक/5400	07	06	अधियाचन आयोग को प्रेषित
5.	ज्येष्ठ मत्स्य निरीक्षक/4200	28	28	
6.	मत्स्य निरीक्षक/2800	62	40	अधियाचन अधीनस्थ चयन आयोग को प्रेषित

7.	परिलेख सहा0 / लेखाकार / 2800	01	–	लेखा बीजक हेतु
8.	लेखाधिकारी / 5400	01	–	
9.	सहायक लेखाधिकारी / 4800	01	01	
10.	मुख्य प्रशा0 अधि0 / 5400	01	01	
11.	वरिष्ठ प्रशा0 अधि0 / 4800	03	03	
12.	प्रशा0 अधि0 / 4600	03	03	
13.	प्रधान सहायक / 4200	05	03	
14.	वरिष्ठ सहायक / 2800	08	05	
15.	कनिष्ठ सहायक / 2000	09	06	
16.	आशुलिपिक ग्रेड–1 / 4200	01	–	
17.	आशुलिपिक ग्रेड–2 / 2800	01	–	
18.	वाहन चालक / 1900	10	08	
19.	दफ्तरी / 1900	01	01	
20.	मछुवा / 1800	58	46	जाल बुनना / मछली पकड़ना
21.	अनुसेवक / 1800	12	12	

उक्त के अतिरिक्त उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालन विकास अभिकरण भी गठित है जिसमें कदाचित निम्नानुसार पद संज्ञान में आये हैं:–

क्र0	पदनाम / ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत	अभ्युक्ति
1.	सचिव	01	01	पदैन सचिव
2.	अधिशासी प्रबन्धक (बी0उ0) / 6600	01	01	
3.	सहायक मत्स्य अधिकारी / 2800	02	02	
4.	ड्राफ्टमैन / 2800	01	01	
5.	सहा0 प्रबन्धक / 2000	01	01	
6.	कनिष्ठ सहायक / 2000	01	01	
7.	टैक्नीकल असिस्टेंट / 1800	25	25	
8.	अनुसेवक / 1800	01	01	
	योग	**33**	**33**	

उपलब्ध कराई गई सूचना अनुसार वित्तीय वर्ष 2015–16 में वेतन सम्बन्धी व्ययभार (केवल सरकारी कर्मचारियों हेतु) लगभग रू0 6.34 करोड़ है जबकि विभिन्न योजनाओं में कुल व्यय लगभग रू0 5.58 करोड़ हुआ है। इस प्रकार विभाग का वेतन व्यय वास्तविक कार्य से लगभग 114 प्रतिशत है। यह भी उल्लेखनीय है कि तालाबों की मछली नीलामी से जो राजस्व प्राप्त होता है वह अभिकरण में ही जमा किया जाता है और अभिकरण ही व्यय करता है। यह

व्यवस्था कदाचित उचित नहीं है क्योंकि तालाबों की नीलामी से प्राप्त राजस्व राजकोष में जमा किया जाना चाहिए तथा विधानसभा से विनियोग विधेयक माध्यम निधि का यथोचित विनियोग से विभाग/अभिकरण को वार्षिक बजट से धन/अनुदान उपलब्ध किया जाना चाहिए।

स्वीकृत पदों के सम्बन्ध में कार्यवाही बिन्दु निम्नलिखित हैं :–

1. लेखाधिकारी एवं सहायक लेखाधिकारी के पद समाप्त किये जायें जिसके स्थान पर लेखाकार व सहायक लेखाकार का 01–01 पद रखा जाय। परिलेख सहायक/लेखाकार का पद समाप्त किया जाना चाहिए।
2. दफ्तरी का पद समाप्त किया जाना चाहिए।
3. मछुवा के 58 पद सृजित है जिनका कार्य जाल बुनना व मछली पकड़ना इंगित किया गया है। यह कार्य आउटसोर्स से कराये जा सकते हैं। अतः इन पदों को मृतक संवर्ग किया जा सकता है।
4. अभिकरण में 25 पद टैक्नीकल असिस्टेंट के हैं जिन्हें समाप्त कर मृतक घोषित कर यथा आवश्यक कार्य आउटसोर्स से कराया जा सकता है।
5. अभिकरण अथवा विभाग में से एक ही व्यवस्था कायम की जानी चाहिए। पशुपालन अंतर्गत अभिकरण के रूप में मत्स्य विकास सम्बन्धी कार्य व्यवहृत किया जा सकता है।
6. ज्येष्ठ मत्स्य निरीक्षक व मत्स्य निरीक्षक पदों की संख्या भी सीमित की जा सकती है जिनकी अधिकतम संख्या क्रमशः 14 व 28–30 रखने पर विचार किया जा सकता है।

(27) ग्राम्य विकास विभाग

ग्राम्य विकास विभाग का संगठनात्मक ढांचा/स्वीकृत पदों के सम्बन्ध में प्राप्त सूचना अनुसार स्वीकृत व कार्यरत पदों का विवरण निम्नानुसार इंगित हुआ है:–

क्र0	पदनाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	अभ्युक्ति
1.	आयुक्त	01	01	प्रमुख सचिव ही आयुक्त है।
2.	अपर आयुक्त/8900	01	–	
3.	उपायुक्त/मुख्य विकास अधिकारी/संयुक्त सचिव/8700	09	04	उपायुक्त प्रशिक्षण/ प्रबंधन पद सहित
4.	परियोजना निदेशक/7600	13	10	
5.	जिला विकास अधिकारी/6600 सहायक आयुक्त/सहायक परियोजना निदेशक	34	23	

क्र0	पदनाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	अभ्युक्ति
6.	आचार्य/6600	08	03	
7.	खण्ड विकास अधिकारी/5400	95	43	32 पदों का अधियाचन प्रेषित/चयन की प्रक्रिया में
8.	प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी/5400	24	06	12 पदों का अधियाचन प्रेषित
9.	सहायक अभियन्ता/5400	11	10	
10.	परियोजना अर्थशास्त्री/5400	07	06	
11.	सहायक खण्ड विकास अधिकारी/2800	190	174	
12.	ग्राम विकास अधिकारी/2000	950	727	
13.	वरिष्ठ प्रशिक्षक/4200	20	02	
14.	प्रदर्शक/प्रदर्शिका/2000	16	12	
15.	प्रचार सहायक/पुस्तकालय सहायक/1900	08	03	
16.	लेखाकार/4200	280	241	
17.	सहायक लेखाकार/2800	70	09	
18.	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/5400	01		लिपिक संवर्ग
19.	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/4800	11	8	
20.	प्रशासनिक अधिकारी/4600	88	77	
21.	प्रधान सहायक/4200	79	68	
22.	वरिष्ठ सहायक/2800	132	105	
23.	कनिष्ठ सहायक/2000	141	169	
24.	कनिष्ठ लेखा लिपिक/1900	02	02	मृत संवर्ग (जनपदों में अधिसंख्यक कर्मचारी कार्यरत)
25.	आशुलिपिक/2800	30	20	अधियाचन प्रेषित
26.	कम्प्यूटर ऑपरेटर/2400	10	0	
27.	प्रशिक्षण सहायक/1800 (वैल्डर/बढ़ई/लौहार)	20	06	समूह घ के मृत संवर्ग पद
28.	हैमरमैन/1800	08	07	–तदैव–

क्र0	पदनाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	अभ्युक्ति
29.	माली/1800	08	06	–तदैव–
30.	लैब सहायक/1800	04	02	–तदैव–
31.	रसोइया/1800	08	07	–तदैव–
32.	बर्तन स्वच्छक/1800	08	07	–तदैव–
33.	मैकेनिक निम्न श्रेणी/ इलैक्ट्रीशियन /1800	08	0	–तदैव–
34.	स्वच्छक/चौकीदार/1800 (प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों हेतु)	08	03	–तदैव–
35.	अनुसेवक/स्वच्छक सह चौकीदार	422	293	–तदैव–
36.	वाहन चालक/2000	135	73	–तदैव–
	योग	**2860**	**2127**	

उक्त के अतिरिक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 26 मई, 2015 के माध्यम जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों में कार्यरत नियमित कार्मिकों को पूर्व शासनादेश दिनांक 31.12.2013 द्वारा राजकीय कार्मिक घोषित किये जाने के क्रम में ग्राम्य विकास विभाग में प्रत्येक जनपद में गठित गरीबी उन्मूलन क्षमता विकास एवं रोजगार प्रकोष्ठ में समायोजित किया गया है। ऐसे कुल 209 कार्मिकों का विवरण निम्न तालिका में इंगित है:–

क्र.सं.	पदनाम	ग्रेड वेतन	कुल कार्मिक संख्या
1.	परियोजना अधिकारी	5400	07
2.	सहायक अभियन्ता	5400	11
3.	सहायक संख्याधिकारी	4200	15
4.	कनिष्ठ अभियन्ता	4200	10
5.	अन्वेषक तकनीकी	4200	04
6.	लेखाकार	4200	16
7.	कार्यालय अधीक्षक	4200	11
8.	सहायक लेखाकार	2800	26
9.	आशुलेखक	2800	09
10.	कनिष्ठ सहायक	2000	42
11.	चालक	1900	13
12.	कनिष्ठ लेखा लिपिक	1900	15
13.	परिचर/चौकीदार/पत्रवाहक	1800	30
	योग		**209**

ग्राम्य विकास विभाग में वर्ष 2015–16 का वेतन सम्बन्धी व्यय की सूचना लगभग 116.28 करोड़ सूचित की गई है। सभी पद भरे होने पर यह व्यय लगभग रू0 153 करोड़ होता। सातवें पुनरीक्षित वेतन अनुसार भरे पदों के सम्बन्धी में वेतन व्यय लगभग रू0 134 करोड़ एवं सभी पद भरे होने पर व्यय लगभग रू0 176 करोड़ होता।

उपलब्ध कराई गई सूचनाओं के क्रम में ग्राम्य विकास विभाग के सम्बन्ध में निम्नांकित बिन्दु विचारणीय हैं :–

1. भारत का संविधान भाग–IX (अनुच्छेद 243 एवं 243–A से 243–O) अनुसार जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा ग्राम पंचायत को स्थानीय स्व शासन संस्थाओं के रूप में सक्षम बनाने के लिए अनुच्छेद 243 जी अंतर्गत शक्तियां व प्राधिकार दिये जाने की व्यवस्था है जिसमें उन्हें शक्तियों व दायित्वों का हस्तान्तरण किया जाना है। इसके अधीन आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं बनाने और इससे सम्बन्धित योजनाओं का क्रियान्वयन करने का प्रावधान है। इस सम्बन्ध में संविधान की 11वीं अनुसूची में इंगित 29 ऐसे विषय सूचीबद्ध किये गये हैं जिनके अंतर्गत पंचायतों को शक्तियां व प्राधिकार व उनसे सम्बन्धित योजनाओं के क्रियान्वयन को सम्मिलित किया गया है।

   उपरोक्त विधिक/संवैधानिक व्यवस्था के आलोक में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं (एवं अन्य विभागों की कतिपय योजनाएं भी) तथा प्रयोग की जा रही शक्तियों व प्राधिकारों के सम्बन्ध में इन्हें पंचायतों को हस्तान्तरित किये जाने अथवा उनके अधीन किये जाने पर विचार करने का प्रश्न खड़ा होना स्वाभाविक है। 11वीं अनुसूची में वर्णित विभिन्न विषय अन्य कई राजकीय विभागों द्वारा ही वर्तमान में न केवल क्रियान्वित किये जा रहे हैं बल्कि योजनाएं भी उनके स्तर पर अथवा राज्य सरकार के स्तर पर राजकीय विकास योजनाओं के रूप में बनाई जा रही हैं।

   उल्लेखनीय है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम (Community Development Programme) प्रारम्भ में वर्ष 1952 में पायलट आधार पर सीमित विकासखण्डों के स्तर पर चलाया गया परन्तु 1964 तक इसे पूरे देश में लागू किया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य ध्येय देश के कृषि सम्बन्धी कार्यक्रम में पर्याप्त वृद्धि करने, ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, ग्रामीण शिक्षा और ग्रामीणों की सामाजिक व आर्थिक जीवन में परिवर्तन की दृष्टि से संचार की प्रगति था। जी0एम0एफ0 कमेटी रिपोर्ट (1952) की संस्तुतियों अनुसार ग्रामीण कार्य हेतु एक प्रसार संगठन की स्थापना की जानी थी जो प्रत्येक किसान तक पहुंचे और ग्रामीण जीवन के सभी आयामों के समन्वित (Co-

ordinated) विकास में सहायता करे। इसमें खण्ड विकास अधिकारी, तकनीकी अधिकारीगण एवं ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता (VLW) की व्यवस्था सहित जिला परिषद के साथ समन्वय का विचार निहित था। वर्ष 1953 में नेशनल एक्सटेन्शन सर्विस (National Extension Service) का उद्घाटन किया गया जिसमें सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक मानव संसाधन की व्यवस्था की गयी। कुछ वर्षों बाद (1956–58) में यह महसूस किया गया कि जैसी अपेक्षा थी वैसी लोगों की सहभागिता नहीं मिल रही है, जिस क्रम में बलवन्त राम मेहता कमेटी की संस्तुतियों व प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण (Democratic decentralisation) की व्यवस्था अंतर्गत प्रशासकीय तंत्र के रूप में तीन घटकों क्रमशः पंचायती राज, लाइन स्टाफ (कलेक्टर, बी0डी0ओ0 एवं व्ही0एल0डब्लू0) एवं विशेषज्ञ स्टाफ जैसे विभिन्न विभागों के प्रसार अधिकारी को लाया गया। जी0एम0एफ0 कार्यक्रम से प्राप्त सबक अनुसार ग्रामीण जीवन के सभी अंग अन्तर्सम्बन्धित (Inter-related) हैं और कि दूरगामी परिणाम तब तक प्राप्त नहीं होंगे जब तक प्रत्येक भाग को अलग–अलग पृथक (Isolated) प्रकार से व्यवहृत किया जाएगा। इसलिए नेशनल एक्सटेन्शन संगठन (National Extension Organisation) की स्थापना सघन ग्रामीण कार्य हेतु किये जाने का सुझाव आया। स्पष्ट है कि बिना पंचायती राज के नजदीकी सहयोग व समन्वय के ग्रामीण विकास के उद्देश्य की पूर्ति सम्भव नहीं होगी। इसका अनुभव पिछले लगभग 5–6 दशकों से कमोवेश हुआ है। यह भी उल्लेखनीय है कि वित्तीय समावेश तथा शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति आदि के दृष्टिगत अब प्रसार सम्बन्धी उद्देश्य की पूर्ति वित्तीय समावेश एवं बैंकिंग सेवा/सुविधा की उपलब्धता काफी कुछ सुनिश्चित हुई है। आज महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना अन्तर्गत तथा कई राजकीय विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं, विशेषतया जलागम, साक्षरता आदि क्षेत्रों में ग्रामीण पंचायतों का सक्रिय योगदान/उपयोग इन योजनाओं के क्रियान्वयन में किया जा रहा है। उत्तराखण्ड नवीकरणीय ऊर्जा अभिकरण (उरेडा) द्वारा माइक्रो हाइडिल परियोजनाओं का निर्माण व संचालन पंजीकृत उपभोक्ता समितियों के माध्यम से किया है। इसी प्रकार वन पंचायतों का भी अनुभव राज्य में है एवं स्वजल पद्धति से पेयजल योजनाओं का निर्माण व संचालन का भी उदाहरण है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में समिति द्वारा प्रकरण पर विचार किया गया। वर्तमान में एक ओर ग्राम्य विकास से सम्बन्धित केन्द्र सरकार से पोषित एवं राज्य सरकार से पोषित कई योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं तो साथ ही विभिन्न अन्य राजकीय विभागों के द्वारा भी अपनी अपनी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। सामान्तर रूप से केन्द्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग अथवा अन्य योजनाओं (केन्द्र पोषित अथवा/तथा राज्य पोषित अनुदानों

अंतर्गत) से प्राप्त वित्तीय स्रोतों से ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों व जिला पंचायतों द्वारा भी योजनाएं तैयार की जा रही हैं एवं क्रियान्वित की जा रही हैं। विभिन्न वाह्य सहायतित अथवा/तथा केन्द्र सहायतित परियोजनाओं अंतर्गत राजकीय विभागों द्वारा कतिपय योजनाओं का क्रियान्वयन किसी हद तक ग्राम पंचायतों के माध्यम से भी कराया जा रहा है। इन परिस्थितियों में एक ही भूक्षेत्र/पंचायत क्षेत्र में एक ओर जहां योजनाओं का निर्माण तथा उनका क्रियान्वयन विभिन्न माध्यमों से किया जाने में सामन्जस्य व समन्वय का अभाव होना स्वाभाविक है वहां कार्यों के दोहराव, निधियों का दुरूपयोग, अधिक धन व्यय होने की परिस्थितियां आदि होने की संभावनाएं बलवती होती है बल्कि ऐसी स्थितियां दृष्टिगत होना भी स्वाभाविक है।

उपरोक्त परिस्थितियों व विधिक/संवैधानिक व्यवस्थाओं के दृष्टिगत समिति का सुझाव है कि किसी ग्राम सभा विशेष से सम्बन्धत संविधान की 11वीं अनुसूची में वर्णित विषयों सहित उन सभी कार्यों/विषयों जिनका सम्बन्ध ऐसी पंचायतों व क्षेत्र के आर्थिक व सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है, को राज्य सरकार पंचायतों को अविलम्ब हस्तान्तरित करें और उनके सम्बन्धित सभी योजनाओं को बनाने व उनके क्रियान्वयन का दायित्व भी उन्हें हस्तान्तरित करें। क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत के सम्बन्ध में भी तदानुसार कार्यों/विषयों को स्पष्ट चिन्हांकित करते हुए ऐसे विषयों/कार्यों सहित योजनाओं को बनाने व क्रियान्वित करने का दायित्व इन पंचायतों को हस्तान्तरित किया जाय। ऐसी दशा में जो कार्य/विषय जिस सीमा अथवा प्रतिबंध अंतर्गत पंचायतों के लिए हस्तान्तरित किये जायें उनके सम्बन्ध में राजकीय विभागों को योजनाएं बनाने एवं उन्हें क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया जाय और वे पंचायतों को मात्र तकनीकी व प्रशासनिक सहयोग करें। राजकीय विभागों द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली शेष योजनाओं के चिन्हांकन हेतु भी स्पष्ट दिशा–निर्देश तैयार किये जाने चाहिए जिसमें बहु/एक से अधिक जनपदों को समाहित करने वाली योजनाएं अथवा जटिल व विशिष्ट ज्ञान एवं तकनीकी वाली बहु ग्राम योजनाएं विभागों द्वारा किये जाने हेतु चिन्हांकित की जानी चाहिए। तदानुसार ग्राम पंचायतों/क्षेत्र पंचायतों व जिला पंचायतों को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाले धन/निधियों के अपर्याप्त होने की परिस्थितियों में राज्य सरकार से ग्राम्य विकास विभाग अथवा सम्बन्धित राजकीय विभाग के माध्यम अतिरिक्त अनुदान दिये जाने अथवा राज्य वित्त आयोग माध्यम अनुदान दिये जाने की व्यवस्था की जा सकती है। उल्लेखनीय है कि भारत का संविधान के अनुच्छेद 243 I अंतर्गत राज्य वित्त आयोग के गठन तथा उसके खण्ड (a) (iii) अंतर्गत राज्य सरकार के समेकित निधि से पंचायतों को अनुदान दिये जाने के लिए सिद्धान्तों के सम्बन्ध में संस्तुतियां देने की व्यवस्था है।

उक्त के दृष्टिगत जिला योजना को केवल पंचायतों को आवंटित किये जाने वाले विषयों/कार्यों हेतु समस्त स्रोतों से प्राप्त होने वाली निधियों के सापेक्ष उसी सीमा तक सम्मिलित किया जाय। वर्तमान में जिला योजना हेतु राज्य सरकार से पृथक से बजट की व्यवस्था भी की जा रही है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में जिला योजना को परम्परागत रूप से राज्य योजना/बजट का एक अंश मानते हुए पृथक बजट की व्यवस्था की जा रही थी जो कि अब आयोजनागत बजट की व्यवस्था समाप्त हो जाने की दशा में भी पुनर्विचारणीय है। इस सम्बन्ध में भारत का संविधान अनुच्छेद 243–ZD की व्यवस्था भी अवलोकनीय है।

2. ग्राम स्तर पर पंचायती राज विभाग से ग्राम पंचायत अधिकारी तथा ग्राम्य विकास विभाग से ग्राम विकास अधिकारी के पद सृजित हैं एवं तदानुसार कार्मिक कार्यरत हैं। वर्तमान में राज्य में 670 न्याय पंचायत तथा 7950 ग्राम पंचायत हैं। ग्राम विकास विभाग में ग्राम विकास अधिकारी के 950 पद स्वीकृत (727 कार्यरत) हैं तो पंचायती राज विभाग अंतर्गत ग्राम पंचायत अधिकारी के 1175 पद सृजित (901 कार्यरत) हैं। स्वीकृत पदों के सापेक्ष प्रत्येक 8.4 ग्राम पंचायतों के लिए एक ग्राम विकास अधिकारी (कार्यरत के सापेक्ष 10.9 गांवों पर एक ग्राम विकास अधिकारी) हैं तो प्रत्येक 6.77 गांवों के लिए एक ग्राम पंचायत अधिकारी (कार्यरत के सापेक्ष प्रत्येक 8.8 ग्राम पंचायतों हेतु एक ग्राम पंचायत अधिकारी) हैं।

संविधानिक/विधिक दृष्टि से ग्राम विकास से सम्बन्धित कार्य हेतु स्थानीय स्व शासन ईकाई होने के परिप्रेक्ष्य में ग्राम पंचायत के अधीन ही योजनाएं बनाने व क्रियान्वित किये जाने की अपेक्षा करना स्वाभाविक ही नहीं बल्कि आवश्यक भी प्रतीत होता है। अतः यह संस्तुति है कि ग्राम पंचायत अधिकारी तथा ग्राम विकास अधिकारी दो पदनामों के स्थान पर एक ही पदनाम यथा ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी स्वीकृत किया जाय जिस हेतु यथोचित शैक्षिक अर्हता व अन्य मापदण्ड रहें। ऐसा करने से एक ओर जहां 7950 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष अधिक संख्या में कार्मिक उपलब्ध होंगे (अर्थात औसतन कम संख्या में गांवों के लिए एक कार्मिक उपलब्ध होगा) तो दूसरी ओर पंचायत के अभिलेख, लेखा व अन्य प्रशासनिक पत्र आदान–प्रदान कार्य सहित योजनाओं को तैयार करने व उनके क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण में अधिक ध्यान केन्द्रित (फोकस) करने की स्थिति सहित समन्वय व सामन्जस्य में वृद्धि होगी। इस प्रकार इन दोनों पदों के एकीकरण से जहां लगभग 2100 पद एक ही कार्य व पदनाम हेतु उपलब्ध हो सकेंगे अर्थात औसतन प्रति 3.79 ग्राम पंचायतों हेतु एक कार्मिक ग्राम पंचायतों के अभिलेख, लेखा आदि रखरखाव के लिए उपलब्ध होगा तो साथ ही योजनाओं का निर्माण, क्रियान्वयन व

अनुश्रवण पर अधिक ध्यान केन्द्रित हो सकेगा और ग्राम पंचायतों की बैठकें भी नियमित व यथा निर्देशित प्रक्रिया से की जा सकेंगी। औसतन चार ग्राम पंचायतों हेतु एक कार्मिक की व्यवस्था की जाने की दशा में इस पद हेतु कुल कार्मिक 1988 रखने होंगे।

साथ–साथ यह विचार किया जा सकता है कि प्रत्येक न्याय पंचायत (कुल 670 न्याय पंचायतों) के सापेक्ष इस पदनाम के लगभग तीन कार्मिक उपलब्ध होंगे जिनके लिए इन ग्रामों के केन्द्र बिन्दु अथवा न्याय पंचायत मुख्यालय में एक ग्राम्य सचिवालय की स्थापना की जा सकती है जो उस स्थान के ग्राम पंचायत के पंचायत भवन में यथा आवश्यक विस्तार सहित स्थापित किया जा सकता है। इससे एक ओर अभिलेखों के संरक्षण व इन कार्मिकों के एक नियत स्थल पर उपलब्ध होने की सुनिश्चितता होगी तो दूसरी ओर डिजिटाइजेशन व कम्प्यूटर नेट व्यवस्था आदि सहित प्रशासनिक दृष्टिकोण से सुविधा भी होगी। इन स्थलों को कम्यूनिटी सेन्टर, कम्यूनिटी सेवा सेन्टर, ग्रामीण बाजार, ग्रोथ सेन्टर आदि विभिन्न रूपों में उपयोग व विकसित किया जा सकेगा। कृषि विभाग के निवेश भण्डार, उद्यान विभाग की मोबाइल टीम, पशुपालन विभाग का पशुसेवा केन्द्र आदि आदि विभिन्न विभागों की निम्नतम स्तर की ईकाईयां इस स्थल पर ही विकसित/स्थापित की जानी चाहिए। ऐसा करने से पलायन की समस्या से निपटने के लिए भी अवसर व स्थितियां विकसित हो सकेंगी।

3. उक्तानुसार ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी के पदों को एकीकृत करने की स्थिति में वर्तमान में नियुक्त एवं कार्यरत कर्मचारियों की वर्तमान प्रास्थिति परिवर्तित न की जाय बल्कि उन्हें वर्तमान अनुरूप ही सेवा, वरिष्ठता सम्बन्धी लाभ यथावत प्राप्त होने की व्यवस्था बनाए रखी जाय परन्तु कार्य एकीकृत पद का लिए जाने की व्यवस्था की जाय जबकि नयी नियुक्तियां एकीकृत संवर्ग में ही एकीकृत नाम व अर्हता से की जायें एवं उनके लिए सेवा नियमावली भी तदानुसार नई बनाई जाय। नया पद 2400 में स्नातक अर्हताधारी से की जाय जिसमें ए0डी0ओ0 पंचायत एवं ग्राम्य विकास के पद पर क्रमशः ग्रेड–3, ग्रेड–2 व ग्रेड–1 पदनाम में (ग्रेड वेतन 2800, 4200, 4600 में) की जाय जिस हेतु क्रमशः 190, 50, 30 पद रखे जा सकते हैं।

4. ग्राम स्तर पर पंचायत राज एवं ग्राम विकास विभाग के उक्त पदों को एकीकृत करने के सुझाव के साथ यह भी संस्तुति है कि उच्चतर स्तरों पर भी ग्राम्य विकास व पंचायती राज विभागों को एकीकृत कर दिया जाय जिसका नाम पंचायत राज व ग्राम विकास विभाग हो जिसमें पंचायत राज एवं ग्राम विकास महानिदेशक अथवा आयुक्त विभाग का मुखिया हो और उसके अधीन ग्राम्य विकास व पंचायत राज के लिए अलग–अलग

शाखाएं हो सकती हैं। पंचायती राज शाखा में संयुक्त निदेशक स्तर का अधिकारी प्रभारी हो सकता है। जनपद स्तर पर वर्तमान व्यवस्था बनी रह सकती हैं।

5. जलागम प्रबन्ध को ग्राम्य विकास शाखा में ही एक उप शाखा के रूप में उप निदेशक स्तर के प्रभारी अधिकारी द्वारा देखा जा सकता है जबकि केन्द्र पोषित ईकाई व विश्व बैंक पोषित परियोजनाओं हेतु पृथक परियोजना निदेशक की व्यवस्था की जा सकती है। तदानुसार वर्तमान जलागम प्रबन्ध निदेशालय को समाप्त कर उक्तानुसार समायोजित किया जा सकता है।

6. खण्ड विकास अधिकारी का पद ग्रेड वेतन 5400 के हैं जिसमें 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम चयन उपरान्त भरे जाते हैं तथा शेष 50 प्रतिशत पद सहायक खण्ड विकास अधिकारी (ग्रेड वेतन 2800) से प्रोन्नति द्वारा पांच वर्ष की सेवा पर भरे जाने की व्यवस्था है। इस प्रकार ग्रेड वेतन 2800 से ऊपर के तीन स्तर, क्रमशः 4200, 4600 व 4800 को छोड़ते हुए ग्रेड वेतन 5400 में प्रोन्नति करने की व्यवस्था पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि ग्राम्य विकास अधिकारी (ग्रेड वेतन 2000) से 100 प्रतिशत प्रोन्नति 7 वर्ष में सहायक खण्ड विकास अधिकारी (ग्रेड वेतन 2800) पर होने की व्यवस्था है और इस प्रकार इस संवर्ग में प्रोन्नति के स्तर व अवसर अत्यंत लुभावने हैं तथा ऐसी स्थिति कदाचित अधिकांश संवर्गों में उपलब्ध नहीं है। सामान्यतया प्रोन्नति एक या अधिक से अधिक दो स्तर ऊपर के वेतनक्रम में होना उचित होता है। इस स्थिति में उक्त बिन्दु–3 अनुसार सहायक खण्ड विकास अधिकारी पंचायत एवं ग्राम्य विकास के तीन स्तरीय पद रखने पर विचार किया जा सकता है।

7. उपायुक्त/मुख्य विकास अधिकारी (ग्रेड वेतन 8700) में कुल 09 पद सृजित व इसके सापेक्ष केवल 04 पद भरे बताए गये हैं। इस पद का पदनाम संयुक्त आयुक्त/मुख्य विकास अधिकारी किया जा सकता है तथा पदों की संख्या को 06 तक (प्रशिक्षण सहित) सीमित करने पर विचार किया जाय।

8. परियोजना निदेशक (ग्रेड वेतन 7600) के 13 पद सृजित तथा 10 कार्यरत हैं। साथ ही जिला विकास अधिकारी (ग्रेड वेतन 6600) में 34 पद (कार्यरत 23) एवं आचार्य (ग्रेड वेतन 6600) के 08 पद (कार्यरत 03) पद हैं। जनपद स्तर पर परियोजना निदेशक तथा जिला विकास अधिकारी नाम से दो प्रकार के पद बनाए रखने का विशेष औचित्य एवं उपादेयता प्रतीत नहीं होती है। इसके स्थान पर परियोजना निदेशक का पद समाप्त करते हुए केवल जिला विकास अधिकारी नाम से ग्रेड वेतन 7600 में कुल 13 पद रखे

जा सकते हैं जबकि उपायुक्त/आचार्य/अपर जिला विकास अधिकारी पदनाम से ग्रेड वेतन 6600 में कुल 26 पद रखे जा सकते हैं (प्रत्येक जनपद में एक–एक अपर जिला विकास अधिकारी, 08 आचार्य तथा 05 उपायुक्त निदेशालय हेतु)।

9. प्रसार प्रशिक्षण का कार्य जनपदीय ग्राम्य विकास प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत ही किये जाने पर विचार किया जाय एवं अन्य कार्यक्रम खण्ड विकास अधिकारी के नेतृत्व में विकासखण्ड स्तर पर ही चलाया जा सकता है। अतः प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी (ग्रेड वेतन 5400) के मात्र 8 पद रखते हुए शेष 16 पद समाप्त किये जा सकते हैं।

10. वरिष्ठ प्रशिक्षक के 20 पद ग्रेड वेतन 4200 में सृजित हैं जिसके सापेक्ष 02 पद पर कर्मचारी कार्यरत हैं, इस पद की संख्या 08 करते हुए 12 पद समाप्त किये जायें।

11. लिपिक संवर्ग के सम्बन्ध में स्टाफिंग पैटर्न लागू रखने पर पुनर्विचार किया जाय।

12. कम्प्यूटर प्रोग्रामर का पद सृजित नहीं है परन्तु पूर्व स्वीकृत पद के सापेक्ष कार्मिक कार्यरत होना बताया गया। यह भी स्पष्ट किया गया कि सम्बन्धित कार्मिक द्वारा कम्प्यूटर प्रोग्रामर का कार्य नहीं किया जाता है। ऐसी दशा में सम्बन्धित कार्मिक को अपनी योग्यतानुसार अन्य रिक्त पद पर समायोजित किया जाय।

13. सहायक लेखाकार के 70 पद व लेखाकार के 280 पदों के सापेक्ष कार्यरत क्रमशः 09 व 241 कार्यरत होना सूचित किया है। इन पदों की कुल संख्या सीमित करने के साथ ही सहायक लेखाकार व लेखाकार के पदों का अनुपात पिरमिड अवधारणा आधार पर पुनर्निर्धारित इस प्रकार की जानी चाहिए कि लेखाकार व सहायक लेखाकार के मध्य पदों का अनुपात मोटे रूप में 01:03 अथवा 01:04 हो। इस स्थिति में सहायक लेखाकार के लगभग 230 पद तथा लेखाकार के लगभग 60 पद रखे जा सकते हैं।

14. चतुर्थ श्रेणी के ग्रेड वेतन में कई पद मृत संवर्ग घोषित होना इंगित किया गया है। कार्यालय ज्ञाप दिनांक 26.5.2015 में जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों के नियमित कार्मिकों को गरीबी उन्मूलन क्षमता विकास एवं रोजगार प्रकोष्ठ का गठन कर सेवा लाभ सुविधा बनाए रखी गई है तथा प्रकोष्ठ में सम्बन्धित पदों को मृत संवर्ग घोषित किया गया है। ऐसे पदों के सापेक्ष मृतक आश्रित मामलों में भर्ती की सुविधा विभाग के नियमित पदों में ही उपलब्ध हो ताकि मृत संवर्ग घोषित कुछ पद इस सुविधा के कारण लम्बे समय तक विद्यमान न रहें। अभिकरण वाले वर्तमान कार्मिकों का विभाग में अथवा अन्यत्र रिक्त पदों पर समायोजन किये जाने पर विचार किया जाय।

15. कनिष्ठ लेखा लिपिक का पद समाप्त किया जाय।